Seventeenth Loksabha

an>

Title: Further Discussion on the problem of drug abuse in the country and steps taken by the Government thereon raised by Harsimrat Kaur (Discussion Concluded). Further Discussion on the Problem of drug abuse in the country and steps taken by the Government thereon (Discussion Concluded) and Speaker on behalf of the house, made a resolution on Drug Abuse.

HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, please start.

... (Interruptions)

*m01 SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Hon. Speaker, Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to speak on the issue of abuse of drugs and its impact on our society ... (Interruptions)

Hon. Speaker, Sir, I am thankful to you for giving me the time to speak on the Discussion under Rule 193. First of all, I take this opportunity to express thanks to the hon. Speaker for converting the Calling Attention into a Discussion under Rule 193 considering the importance and significance of this subject; 'Drug abuse in the country and steps taken by the government thereon.' The drug abuse and its impact on the Indian society." Not only on the Indian society, it is a menace globally to the whole humanity.

Sir, you may kindly see that drug abuse is a menace to the society, and pierces deep into the structure of our society. It is rapidly moving amongst the adoloscents and youth; and our further generation is under threat.

Sir, I have a Report of 2017 on 'Global Burden of Disease'. It says that 7.5 lakh people have died because of drug abuse in the year 2020; and out of this, 22,000 people in India have died in the year 2020 because of drug abuse. This is the gravity of the situation. This is such a pathetic situation prevailing in our country. ... (Interruptions)

Sir, drug abuse is a global challenge. It is being reported that five to six per cent of the global population between the ages of 15 and 64 years are using drugs at least once in their lifetime and most of these people belong to the age group of 15 to 30 years.

Sir, millions of youths, who are the future of India, fall victim to this menace. An abusing drug impairs the successful transition to adulthood by impairing the development of critical thinking, learning capacity, the cognitive skills, and the intelligent capacity of the future generation of the country is being totally destroyed because of use of these banned drugs.

Further, Sir, the adolescents who abuse drugs are reported to have a higher rate of physical and mental illness. Drug abuse is defined as a selfadministration of a drug for non-medical purpose in such amount and periodicity, which may impair their ability to function adequately, and may result in social, physical or emotional harm.

Sir, the increasing rate of drug addicts and alcohol usage is a massive danger prevailing in our society for which concern and solutions are required. That is the need of the hour. There are two issues. The first one is the concern and second one is the resolution of these concerns.

I would like to draw the attention of the hon. Minister regarding the concerns. During the abuse it is seen that it is a complicated problem because it is linked with other serious crimes such as organised crimes, human trafficking, and money laundering. All these are inter-connected with the abuse of the drugs. So, this is a complex situation prevailing in our society. This has to be dealt with in a sophisticated manner. Otherwise, we will not be able to resolve this issue. Article 47 of the Constitution, that is the Directive Principles of the State Policy, very clearly spells out that it is the responsibility of the State to restrict the use of drugs. On the basis of Article 47 of the Constitution of India, we, the Parliament, have enacted two legislations, the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 and the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988. I would like to seek a

clarification from the hon. Minister whether these two legislations are sufficient to combat this menace of drug abuse. To me, it is not sufficient to meet the purpose. Why am I saying this? The first reason is lack of political will or power to enforce or implement the law. The second reason is that there are some lacunas in the legislation. These two issues have to be addressed at this juncture.

Sir, in order to address these issues, the Government of India should come out with some plan. I am having seven suggestions in this regard. The first suggestion is that the Government of India should come out with a national action plan for drug abuse. The Government of India should come out with a clear-cut policy.

Though it is a matter concerning the States, the Government of India, under the leadership of the hon. Home Minister, definitely, can take this initiative to have a national action platform so as to address the issue of drug abuse. The second suggestion is that there is a need for counselling and rehabilitation centres throughout the country.

I would like to draw the attention of the hon. Minister towards the cases of drug abuse. The number of total drug related cases reported in India, as per the NDPS Act, in the year 2020, are 59,806, out of which, 57,600 cases are reported from the States and 2,206 cases are reported from the Union Territories. I would like to draw the attention of the hon. Minister as to why it is happening. If you examine it, out of the cases reported in the Union Territories, 55 per cent of the cases are from the Union Territory of Jammu and Kashmir. What does it indicate? It means that it is having link with anti-national terrorist forces. Drug abuse is one of the means by which youths are being misled and anti-national forces are being encouraged. It is well-evident from the statistical data of the Union Territory of Jammu and Kashmir. I am coming to the States also. The highest number of cases of drug abuse are reported from Uttar Pradesh. Then, there is Punjab, Tamil Nadu, and Kerala. It is astonishing to see that a literate State like Kerala is facing such a menace. The State Legislative Assembly has discussed it at length. A full day discussion took place and a resolution was also passed in the State Legislative Assembly to combat this menace. A State like Kerala, which is a small State, is having fourth number of cases reported and that too in the age group of 10 years to 15 years. It is the adolescent age. It is being learnt that 80 per cent of the cases, reported in Kerala, are in the age group of 10 years to 15 years. That means, they are targeting the school children.

Sir, the third point is regarding protection and solution, individual's attitude, and perception. Individuals with a strong belief against drug use and those with a strong desire to maintain their health are well protected from involvement in drug abuse. I have two suggestions for the hon. Minister in this respect. The first suggestion is that an intensive awareness campaign has to be brought in. The second suggestion is that this should be included as a subject matter or a paper in the school syllabus.

Sir, the next point is regarding the parents. It is being reported that the expecting mothers who take tobacco and alcohol have an indirect link with the adolescents who use such substances in their later life.

Sir, another point is regarding legislation. I have already mentioned that both legislation and enforcement should be engaged regularly against drug abuse as part of our commitment to combat this public health burden.

The fourth point I would like to make is this. The Schedule of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 should be amended. I would like to draw the attention of the hon. Minister to this issue. Nowadays, as per the NDPS Act, 1985, if a small quantity of *ganja*, MDMA, *charas*, or any other such substance is being carried by a person, it is a bailable offence. The Schedule of the NDPS Act, 1985 was subsequently amended in the year 2022, thereby making these offences bailable. Now, people are at liberty to carry a small quantity of these substances. So, I would like to suggest to the hon. Home Minister that a drastic amendment to the Schedule of the NDPS Act, 1985 is the need of the hour; otherwise the cases of drug abuse will increase. ... (Interruptions) I am just concluding.

My next point is regarding the availability of these banned drugs. The main point to be addressed is this. The availability of banned drugs is the main reason for having this abuse. So, the root cause has to be identified and needs to be cut off. Stringent actions must be taken against this so that there is no scope of availability of drugs.

Sir, I would like to suggest that a Monitoring and Review Committee must be constituted either Legislative Assembly Constituency-wise or Parliamentary Constituency-wise, so as to address this issue. I would like to share my experience. In the DISHA Meeting, Madam Smriti Iraniji had given a

direction to discuss the issue of POCSO cases. Likewise, this should also be a subject matter in the DISHA Meeting. Otherwise, a Monitoring and Review Committee must be constituted at the Parliamentary Constituency level so that the people's representatives can also be a part and parcel in combating the drug abuse issue.

Hon. Speaker Sir, lastly, I would like to urge upon you to pass a unanimous Resolution and give a message to the whole nation so as to combat this drug abuse without any political barriers.

We have to be unanimous in this issue. Without having any political differences, we have to fight against this menace; otherwise, the future generations of our country will be spoiled and their intellectual capacity will be disturbed. This is, in an indirect way, encouraging the terrorists and the antisocial and anti-national forces. So, a unanimous Resolution has to be passed, and a message has to go from this Parliament to address this issue. With these words, I conclude my speech.

Thank you very much.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, एक अच्छी चर्चा चल रही है, सकारात्मक सुझाव भी आ रहे हैं, लेकिन सदन में जो सुझाव एक बार आ चुके हैं, उनको रिपीट न करें। इसलिए सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर मिला है।

मेरा आपसे आग्रह है कि आप दो या तीन मिनट में अपनी बात को समाप्त कर दें। कुछ नियमों में परिवर्तन करना हो या आपको कुछ और भी बोलना हो, आपको बोलने की अभिव्यक्ति और आजादी है। अगर आप दो या तीन मिनट में अपनी बात खत्म कर देंगे, तो दोपहर के दो बजे इस पर जवाब दिलवा देंगे। ये मेरा आप सबसे आग्रह है।

... (व्यवधान)

SHRI RAJMOHAN UNNITHAN (KASARAGOD): Sir, please increase it to five minutes.

HON. SPEAKER: No, only two to three minutes' time will be allotted.

Now, Sushri Sunita Duggalji.

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, दो या तीन मिनट के बाद माइक अपने आप ही बंद हो जाएगा।

सुश्री सुनीता दुग्गल (सिरसा) : अध्यक्ष जी, मेरी आपसे विनती है कि मेरा राजनीति के अंदर आने का एक बहुत बड़ा मकसद यह भी था। आप चाहे मुझे आखिरी में समय दें, लेकिन मुझे इसमें ज्यादा समय चाहिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको दो मिनट से ज्यादा समय नहीं मिलेगा।

... (व्यवधान)

सुश्री सुनीता दुग्गल : अध्यक्ष जी, मैंने वर्ष 2014 में रतिया से चुनाव लड़ा था। माननीय गृह मंत्री जी भी वहां पर गए थे।

माननीय अध्यक्ष : आप अपने दो मिनट ऐसे खर्च मत कीजिए।

सुश्री सुनीता दुग्गल: अध्यक्ष जी, मुझे वहां की महिलाएं अलग स्थान पर ले जाकर यह कहती थीं कि बेटा हमारे बच्चों को बचा लो। मैं चाहती हूं कि मुझे इसमें थोड़ा ज्यादा समय दिया जाए। मैं यह कहना चाहती हूं कि ड्रग एब्यूज और उस पर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर यह चर्चा हो रही है। मैं देख रही हूँ कि सब के सब ड्रग्स पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, उसके ऊपर किसी ने चर्चा नहीं की है। मैं गोल्डन क्रिसेंट के बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा ईरान से यह सब कुछ आता है। वर्ष 2019 में एम्स की जो रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार पंजाब, असम, दिल्ली, हरियाणा, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम तथा उत्तर प्रदेश राज्यों को चिह्नित किया गया था, जहां पर सबसे ज्यादा मैग्निट्यूड ऑफ सब्सटेंस का यूज था।

आदरणीय अध्यक्ष जी, चूँकि पाकिस्तान से राजस्थान और पंजाब के माध्यम से यहां पर ड्रग्स आते हैं। अब तो ड्रोन से भी ड्रग्स आने लगे हैं। मैं यह कहना चाहती हूँ कि एक जगह पर कांग्रेस की सरकार और दूसरी जगह पर आप पार्टी की सरकार है। वे पहले यहां पर लोक सभा के सांसद थे, सबको मालूम है कि उनका तो नशे से दूर-दूर तक रिश्ता नहीं है। अब वे वहां पर मुख्य मंत्री

बनकर चले गए हैं। मेरी अभी पिछले दिनों माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात हुई और उसके बारे में मैंने उनसे चर्चा भी की।

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं यह बताना चाहती हूँ कि उसके एक हफ्ते के अन्दर-अन्दर ही आदरणीय गृह मंत्री जी ने चंडीगढ में जाकर ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर बातचीत की और जितने भी आस-पास के राज्य हैं, उन्होंने उन सबके साथ इस विषय पर विस्तार से चर्चा की। मुझे लगता है कि हमारे गृह मंत्री जी इस पर और ज्यादा विस्तार से बताएंगे। मैं यह कहना चाहती हूँ कि उसके बाद पूरे हिन्दुस्तान के अंदर 272 जिले चिह्नित किए गए। उनमें से हिरयाणा के अन्दर ऐसे 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो चिह्नित किए गए और दुर्भाग्य से उसमें मेरे लोक सभा क्षेत्र के तीन डिस्ट्रिक्ट्स भी आते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, तीनों डिस्ट्रिक्ट्स इसके अंदर हैं, चाहे सिरसा हो, फतेहाबाद हो या जींद हो। इसके साथ-साथ मैं आपसे कहना चाह रही हूं कि हमारी सरकार ने इसके अंदर काफी काम किए हैं। हमारी सरकार ने एक स्टेट एक्शन प्लान बनाया है, जिसके माध्यम से केयर लॉन्च किया है, जिसमें कोऑर्डिनेशन, अवेयरनैस, रिहैबिलिटेशन और एन्फोर्समेंट है। यह काम हमारी हरियाणा सरकार ने किया है।

29 मई, 2020 को हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स सेंट्रल ब्यूरो बनाया गया और उस ब्यूरो के माध्यम से फाइव टियर स्ट्रक्चर बनाया गया है। यह मैं आपके माध्यम से जितने भी माननीय सदस्य यहां उपस्थित हैं, उनको बताना चाहती हूँ। इसके माध्यम से वे देखें कि वे अपने राज्य में क्या कर सकते हैं। चूँिक सरकार क्या कर रही है, उसके बारे में भी बताना जरूरी है। मैं यह बताना चाह रही थी कि फाइव टियर जो स्ट्रक्चर है, वह बनाने के लिए कहा है, जिसके अंदर 7538 विलेज मिशन टीम है, 1710 वार्ड मिशन टीम है, कलस्टर मिशन टीम है, सब डिविजन मिशन टीम है, डिस्ट्रिक्ट मिशन टीम है। इसके साथ-साथ इसमें 50 परसेंट जो भागीदारी है, वह एडिमिनस्ट्रेशन की है और 50 परसेंट भागीदारी पिटलक की है। इसके साथ-साथ में एक बात आपके माध्यम से कहना चाह रही हूं कि ब्रग एडिक्ट्स न कहा जाए। माननीय गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि अगर हम ब्रग एडिक्ट्स की जगह ब्रग विविटम कहेंगे, क्योंकि वे बच्चे हैं और वे किसी न किसी कारणवश इसके अंदर आते हैं तो उनको ब्रग विविटम कहा जाए। यह बहुत अच्छी बात है। मैं आपके माध्यम से कहना चाह रही थी कि वह जो टीम है, वह इसके बारे में पूरी जांच-पड़ताल करेगी और हमने एक 'धाकड़ प्रोग्राम' बनाया है। देखिये, यह हिरयाणा है और धाकड़ है, यह आपको मालूम ही है कि अभी किस तरह से वहां पर, चाहे हम पहलवानी की बात करें, कुशती की बात करें, तो वे हर चीज में अव्वल रहते हैं। एक धाकड़ प्रोग्राम रखा गया है, जिसके अंदर एक क्लास के अंदर पाँच बच्चों को चिहित किया जाएगा। वे बच्चे जो भी ब्रग एडिक्ट मिलेंग या ब्रग विकिटम्स मिलेंगे, उनको चिन्हित करेंगे और जो बच्चा इसमें सबसे अग्रणी रहेगा, उसको सीनियर धाकड़ बोला जाएगा। वह अपने हेडमास्टर को या प्रिंसिप्ल को यह बात जब बताएगा तो उसको नोडल धाकड़ बोला जाएगा। इसके माध्यम से हम ऐसे बच्चों को निकाल सकते हैं। अभी मैं सिरसा की बात करंज, तो उसमें मैंन खुद एक क्लीन प्रोग्राम लॉन्च किया है। Cutting the supply of illicit drug, law enforcement, empathetic rehabilitation of drug victims and awareness generation are new ideas for all stakeholders for drug free Sirsa. अध्यत्त जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि हमारे वहां पर highest recovery of heroin and poppy husk की हुई है। जब हम छोटे बच्चे थे तो कई बार अखबारों में पढ़ते थे कि हेरोइन पकड़ी गई, हेरोइन पक

माननीय अध्यक्ष : आप किसी प्रदेश के बारे में टिप्पणी मत कीजिए।

श्री गौरव गोगोई जी।

... (व्यवधान)

सुश्री सुनीता दुग्गल : अध्यक्ष जी, मुझे सिर्फ एक मिनट बोलने के लिए मौका दीजिए। मैं खत्म करने से पहले अपनी आखिरी बात को पूरा करना चाहूंगी... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्या, नो।

सुश्री सुनीता दुग्गल : अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से हिरयाणा सरकार काम कर रही है, वैसे ही पंजाब सरकार भी काम करे। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को काम का नशा है। उन्हें माँ भगवतगीता और शिव का नशा है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सदन व्यवस्था से चलता है और माइक अपने आप बन्द हो जाता है।

श्री गौरव गोगोई जी।

... (व्यवधान)

सुश्री सुनीता दुग्गल : सर, मुझे एक मिनट समय दीजिए।

माननीय अध्यक्ष : ठीक है। आप कन्क्लूड कीजिए। आपने पांच मिनट बोल लिया है।

about:blank 4/26

सुश्री सुनीता दुग्गल: सर, मैं यह कहना चाहती हं कि देखिए, गुरु नानक देव जी ने क्या कहा है:

"नशे भंग शराब के उतर जाण प्रभात,

नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात।"

बहत-बहत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री गौरव गोगोई जी, माइक अपने आप बन्द हो जाएगा।

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): सर, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहंगा कि आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा की शुरुआत की, लेकिन यह चर्चा बहुत देर से हो रही है। पंजाब के जो भी

मुद्दे आज इस सदन में उठे हैं, मुझे याद है कि वर्ष 2012 में हमारे दल के नेता राहुल गांधी जी ने उस समय ही बोल दिया था कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है, नशे को लेकर हमें बहुत

चिन्तित होना है और नशे के कारण पंजाब के युवाओं का भविष्य हम अंधकार में धकेल रहे हैं। लेकिन उस समय यहां जो सत्ता पक्ष था, उनकी राजनीतिक टिप्पणी आई, विभिन्न प्रकार से बोला गया,

आलोचना की। हम बार-बार यह कहना चाहते हैं कि हम विपक्षी दल होने के नाते अगर कोई मुद्धा उठाएं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप वही-वही आलोचना कर दीजिए। किसी मुद्दे में कोई मूल्य

है और उस मुल्य को आप समझिए। कोविड के बारे में भी राहल जी ने पहले बोला, आपने बात नहीं सुनी। आज चीन के बारे में भी बार-बार राहल जी बोल रहे हैं कि आप इस पर एक ठोस कदम

उठाइए, लेकिन आप सेना के पीछे छिप रहे हैं। यह सदन किसका है? यह सदन देश का है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप विषय पर बोलिए।

श्री गौरव गोगोई : सर, देश के अंदर जो सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, वे यहां उठने चाहिए, क्योंकि देश की जनता सरकारों को चूनती है, न कि सेना को । अगर देश की जनता सरकारों को चूनती है तो

सरकारों का भी जवाबदेह होना बनता है। अगर आज हम डुम्स की बात करते हैं, डुम्स कहां से आते हैं। डुम्स पानी से आएंगे, सागर से आएंगे या सीमा से आएंगे या अंतर्राष्ट्रीय विमान अड़डों से आएंगे।

आज हम गृह मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि आपने एयपोर्टस पर किस प्रकार से सर्विलेंस बढाई है? आपने सी बॉर्डर्स पर किस प्रकार से सर्विलेंस बढाई है और आपने लैण्ड बॉर्डर्स पर किस प्रकार से

सर्विलेंस बढ़ाई है? यह कोई नया मुद्दा नहीं है, आप बार-बार सीमा सुरक्षा की बात करते हैं, हम जानना चाहते हैं कि सीमा सुरक्षा के मामले पर आपने किस प्रकार से हमारे सीमा सुरक्षा बल को और

ताकत दी है। आज हम उत्तर पूर्व में देख रहे हैं कि म्यांमार से विभिन्न प्रकार के आर्म्स आ रहे हैं, डुग्स आ रहे हैं। उत्तर पूर्व में आज सब तरह की ट्रैफिकिंग हो रही है, वहां एक कॉरिडोर बन गया है, जिसमें आर्म्स ट्रैफिकिंग हो रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, ड्रम्स ट्रैफिकिंग हो रही है, एनिमल बॉडी पार्ट्स की ट्रैफिकिंग हो रही है। कहीं न कहीं यह सब बॉर्डर से जा रहा है तो बॉर्डर्स का संरक्षण

किसके हाथ में है? बॉर्डर्स का संरक्षण आपके हाथ में है, सीमा सुरक्षा बल के हाथ में है तो आप इस बारे में बताइए। आप यह बताइए कि इंटेलिजेंस का आप किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं?

सर्विलांस का आप किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं? आप बार-बार हमारे ऊपर ... * कर देते हैं। हमारे मोबाइल फोन पर ... * लगा देते हैं, पत्रकारों पर पेगासस लगा देते हैं। आप मुझे यह बताइए

कि पेगासस के द्वारा आपने कितने इंग्स और नारकोटिक्स के माफिया को पकड़ा है?

आप जो सर्विलांस हम पर लगाते हैं, आपने कितने ड्ग्स के माफिया और बड़े-बड़े माफियाओं को इस सर्विलांस के द्वारा पकड़ा है, यह भी हमें बताइए।... (व्यवधान)

गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह): अध्यक्ष जी, इन्होंने बहुत गम्भीर आरोप लगाया है कि इनके मोबाइल पर ... * लगा है, इसके आधार उनको सदन में प्रस्तुत करना चाहिए। आप

ऐसे नहीं बोल सकते। या तो ये शब्द निकाल दिए जाएं, या फिर वह उसके आधार सदन में प्रस्तुत करें। इनके पास एक भी आधार हो किसी पत्रकार का, नेता का या उनका खुद का, उसे यहां सदन में

रखना चाहिए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, यह सदन गंभीरता के साथ बहस के लिए है। स्वछन्दी राजनीतिक आरोपों के लिए यह सदन नहीं है। हर सदस्य को बोलते वक्त उस तथ्य को यहां रखने की पात्रता

रखने के बाद ही बोलना चाहिए। ... (व्यवधान)

श्री **गौरव गोगोई** : सर, मेरा आग्रह है कि यदि मुझसे कोई गलती हुई है तो सरकार यह कुबूल करे कि सरकार पेगासस का इस्तेमाल नहीं करती है।... (व्यवधान)

श्री अमित शाह: अध्यक्ष जी, इन्होंने कहा है कि इसका इस्तेमाल हुआ है और उन पर हुआ है, आप तथ्य रख दो।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : चलिए, आप अपना मोबाइल रखिए, चेक करा देंगे।

श्री अमित शाह: बाकी सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है। बदनाही नहीं है आपके नेता की तरह, तो हम क्या कर सकते हैं।... (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई : सर, आप आदेश दीजिए। हम आपके आदेश के अनुसार, आपको यदि लगता है कि मैंने सदन की मर्यादा का उल्लंघन किया है तो आप आदेश दीजिए। सदन में हम जो भी बात

रखते हैं, वह जिम्मेदारी के साथ रखते हैं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह उच्च सदन है और उच्च सदन में हम अपनी बात तथ्यों, प्रमाणों के साथ रखें तो सदन की मर्यादा बढ़ती है। यह मेरा आग्रह है।

श्री गौरव गोगोई: सर, मैं दूसरी बात इंटेलीजेंस पर सर्विलांस के लिए बोल रहा था। जहां से यह बात उठी है तो हम यह जानना चाहते हैं कि आपने कौन सी आधुनिक सर्विलांस का इस्तेमाल किया है और कौन सी आधुनिक सर्विलांस के द्वारा आपने बड़े-बड़े माफियाओं को पकड़ा है। आप हमें यह बता दीजिए। मेरी तीसरी बात फाइनेंशियल ट्रैकिंग की है। आपने फाइनेंशियल ट्रैकिंग में कौन से इंस्ट्रूमेंट्स लगाए हैं? नाकों ट्रेड को लेकर करोड़ों रुपये कैसे जा रहे हैं और कहां से जा रहे हैं? क्या यह क्रिप्टो से हो रहा है? क्या यह बैंक अकाउण्ट से हो रहा है? क्या यह बेनामी से हो रहा है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पकड़ने के लिए वे कौन से बड़े-बड़े लोग हैं और उनके लिए सरकार ने क्या किया है? ... (व्यवधान)

सर, मेरे दो पॉइंट्स हैं, उसके बाद मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। हम जन जागरण की बात करते हैं। जब हम जन जागरण की बात करते हैं तो हमें विभिन्न गैर सरकारी संगठनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तािक वे नुक्कड़-नाटक और विभिन्न प्रकार के जन जागरण के अभियानों के द्वारा गांवों में जाएं और छात्रों के पास जाकर उनको बताएं कि इस पदार्थ की नशीली दवाएं हमें नहीं लेनी चाहिए, लेकिन यह सरकार बार-बार एफसीआरए को लेकर सिविल सोसाइटी का बार-बार इन्वेस्टीगेशन करती है। आप सिविल सोसाइटी को भी ढंग से काम नहीं करने देते हैं।

मेरी आखिरी बात यह है कि हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं। हम भी चाहते हैं कि स्पोर्ट्स आगे बढ़े। मैं खुद भी ड्रग्स को लेकर अपने लोक सभा क्षेत्र में फिटनेस को लेकर दौड़ आयोजित करता हूं। अभी तक ड्रग्स विरोध में मैंने युवाओं के साथ दो-तीन दौड़ का आयोजन किया है। दौड़ के साथ-साथ हमारा छात्र जानना चाहता है कि स्कूल में कोच कहां है, स्कूल में प्लेग्राउण्ड कहां है? ये सरकार स्पोर्ट्स की तो बात करती है, लेकिन स्कूल में कोच और स्कूल में स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने क्या किया है, आप यह बताइए। सभी ने यह कहा है और हम भी यह कहना चाहते हैं कि यह ड्रग्स एक कैंसर है, एक कर्कट का रोग है। इस रोग में जो फंसता है, उसको हमें किसी क्रिमिनल की तरह नहीं, बिल्क एक रोगी की तरह देखना चाहिए। इसी तरीके से हमें पुलिस और सीमा सुरक्षा पर जोर देना है तथा इसके साथ-साथ हमें रिहैबिलिटेशन पर भी जोर देना चाहिए।

डॉ. एस. टी. हसन (मुरादाबाद): सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। एक बहुत गम्भीर विषय पर चर्चा हो रही है और यह चर्चा कल से हो रही है, जिसका ताल्लुक हमारी आगे आने वाली जनरेशन से है। हम जानते हैं कि जिस तरह से यह ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, नशे का कारोबार बढ़ रहा है, उससे आने वाली नस्लों को नुकसान होना है और हमारा देश कमजोर होगा। इसमें कहीं न कहीं इंटरनेशनल साजिशें भी हमारे साथ हो रही हैं।

12.38 hrs (Shri N.K. Premachandran in the Chair)

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि नशे का कारोबार करने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। जो नशा करते हैं, उनमें आज तक का यह रिकॉर्ड है कि जितने भी हीनियस क्राइम्स हुए हैं, वे नशे में हुए हैं। चाहे वह बिच्चियों के साथ बलात्कार हो, रिश्तों को तार-तार किया गया हो, मर्डर किए गए हों, डकैती डाली गई हों, उनमें ज्यादातार 90 परसेंट लोग नशे में होते थे, जो यह काम करते थे। हम इस कारोबार पर बैन लगाने और रोकने की पूरी कोशिश कर रह हैं तथा हमारी सरकार पूरी कोशिश कर रही है। हम इसके लिए सरकार के साथ खड़े हैं।

महोदय, यह देश का मामला है, यह कोई पॉलिटिकल इश्यू नहीं है, लेकिन जो लोकल नशा हो रहा है, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड के अंदर आपने देखा होगा सड़कों के किनारे बहुत भांग खड़ी है। उसे लोग हाथ से तोड़कर मसलते हैं और उसके बाद उसे निकालकर सिगरेट में डालकर उसका नशा करते हैं। जाहिर है कि भांग को उगने से नहीं रोका जा सकता है, लेकिन ऐसे लोग, जो नशे के आदी हों, उनको कम से कम तीन महीने की जेल की जाए। जेल के अंदर उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए और उनको समझाना चाहिए। जब वे तीन महीने तक आइसोलेशन में जाएंगे तो हो सकता है कि उनका नशा छूट जाए। हमने मिडिल ईस्ट के देशों में देखा है, वहां ये सब कुछ क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहां कानून बहुत सख्त हैं। हमारे यहां भी सख्त कानून की जरूरत है। कैपिटल पिनशमेंट के लिए सब मना करते हैं, लेकिन कहीं जरूरत होती है। इसमें भी कैपिटल पिनशमेंट होना चाहिए।

महोदय, मैं यह कहना चाहूंता हूं कि हमारे थानों पर ये नशीली चीजें कहां से आती हैं। कोई भी इन्फ्लुएंशियल इंसान किसी को धमकी देता है कि मैं तुझे एनडीपीएस एक्ट में बंद करवा दूंगा, थाने के अंदर उसके पास से दवाएं निकलती है और वह एनडीपीएस में बंद करवा देता है। मेरी गृह मंत्री जी से दरख्वास्त है कि इस कदम को सख्ती से रोकें, जिससे इसका फैलाव भी कम होगा। मेरा आखिर में यही कहना है कि इस कारोबार पर सख्त से सख्त कानून बने। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री मनोज तिवारी (उत्तर पूर्व दिल्ली): सभापित महोदय, आपने मुझे देश में मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैंने यहां पर कई बातें सुनी है, जिसके बाद मैं थोड़ा चिंतित हो रहा हूं। यहां नशे के खिलाफ बात हो रही है, लेकिन कुछ लोग एल्कोहल को ग्लैमराइज करते हैं। मैं जिस गांव से आता हूं, वहां मैंने देखा है कि लोगों को पहले शराब का नशा लगा, फिर उनको गांजा का नशा लगा, फिर वे हेरोइन पीने लगे। इसके कारण उनके 80-80 बीघा खेत बिक गए। वे बर्बादी के कगार पर चले गए। ड्रग की परिभाषा क्या है? उसको जानें लेकिन अल्कोहल को ग्लैमराइज न करें। यह मेरी प्रार्थना होगी। हमारे किसी साथी ने कहा है कि बंदरगाह पर तीन हजार किलोग्राम ड्रम्स पकड़ ली गई। अगर वह पकड़ ली गई, तो इस पर क्यों शॉक्ड हैं? यह मुझे समझ में नहीं आता है।

हम लोग पहले से आज तक की तुलना करते हैं। मैं अभी-अभी पढ़ रहा था कि वर्ष 2006 से वर्ष 2013 तक 22,45,178 किलोग्राम ड्रग्स जब्त की गई थी, वहीं वर्ष 2014 से वर्ष 2022 तक 62,60,230 किलोग्राम ड्रग्स पकड़ी गई है। सरकार का यह प्रयास अपने-आप में तुलना दिखा देता है। इनमें 40 लाख किलोग्राम का अंतर है। वर्ष 2006-13 में जब्त की ड्रग की मात्रा 10,31,117 किलोग्राम थी। अब 24 लाख से ज्यादा की संख्या में ड्रग्स जब्त की गई है। हम माननीय एचएम महोदय को धन्यवाद करना चाहते हैं। गृह मंत्रालय ने चंडीगढ़ में एनसीबी के सहयोग से एक मीटिंग की थी। उसमें उन्होंने जो स्टेप्स उठाए थे, हमें उनका भी अध्ययन करना चाहिए।

कुछ समय पहले की बात है। 27-28 अक्टूबर, 2022 को सूरजकुंड में एक चिंतन शिविर हुआ। वह गृह मंत्रियों का सम्मेलन था। उसमें प्रधान मंत्री जी ने स्वयं भाग लेकर संबोधित किया और इसका परिणाम आ रहा है। हमारी कोशिश यह है कि बातें बहुत हो गई, अब कुछ ठोस काम होना चाहिए। अगर हम नशे को नहीं हरा पाए, तो उसका हमें अफसोस होना चाहिए। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कई ऐसी बाते हैं - जैसे, ड्रम्स के व्यापारियों पर कड़ा शिकंजा हो। मेरा यह एक सुझाव है कि ड्रम्स के व्यापारियों पर कड़ा शिकंजा हो, लेकिन जो युवा इसमें धोखे या अन्य कारणों से फंस गए हैं, उनसे विकिटम यानी बीमार जैसा ही व्यवहार हो। उनको ठीक होने में मदद की जाए। मैं दिल्ली से माननीय सांसद चुना गया हूं। दिल्ली में ड्रम्स और नशे के अपराधियों को दिल्ली की लोकल सरकार संरक्षण दे रही है। यहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। जो पुलिस की कार्रवाई में भी बाधा डालते हैं। जब वह ऐसे कड़े फैसले लेती है, तब स्वयं... *पुलिस के लिए अपमानजनक शब्द का प्रयोग करते हैं। मैं वह शब्द यहां नहीं बोलना चाहता हं, जो उन्होंने पुलिस के लिए प्रयोग किया है। इसकी चिंता सदन को करनी चाहिए।

सभापित महोदय, मैं यहां माननीय गृह मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि दिल्ली में कुछ ऐसे इलाके हैं, जो इल्लीगल घुसपैठियों की बहुलता वाले हैं। वहां पर ड्रम्स का बड़े स्तर पर व्यवसाय हो रहा है। ऐसी जगह पुलिस को बड़ी तैयारी से दीर्घकालिक योजना के साथ कार्रवाई करनी चाहिए। कुछ माह पहले ओखला में एक युवक को दिन-दहाड़े मार दिया गया था, क्योंकि वह ड्रम्स बेचने वालों के खिलाफ शिकायत करता था।

कुछ लोगों ने इस देश में ऐसा भ्रम फैलाया है। मैं मुंबई के संदर्भ में कुछ बातें करना चाहता हूं। मैं फिल्म उद्योग के संबंध में बात करना चाहता हूं। जब हमारे साथी रवि किशन जी ने यहां एक बार ड्रम्स के खिलाफ बात की, तो कुछ लोगों ने बिना सार को समझे हुए, थाली में छेद करने जैसी बातें करनी शुरू कर दीं।... (व्यवधान)

सभापित महोदय, मैं एक मिनट में ही अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं समय की मर्यादा समझ रहा हूं। कुछ लोगों ने ऐसा भ्रम फैलाया कि ड्रग से बॉडी में फिटनेस आती है, ज्यादा देर काम करने की क्षमता बढ़ती है। यह तनाव खत्म करने में मदद करता है। इन लोगों ने बहुत खूबसूरती से देश के फिल्म-कलाकारों, युवाओं और प्रतिभाओं को नष्ट करने के लिए एक साजिश के तहत ड्रग एडिक्ट्स बना दिया। इसका परिणाम भयानक हुआ। हमने सुशांत राजपूत जैसे व्यक्ति को खो दिया।

मेरी आपसे प्रार्थना है कि सरकार जिस प्रकार से मादक पदार्थों की आपूर्ति और मांग दोनों को कम करने के लिए काम कर रही है, वह प्रयास बहुत सकारात्मक है। उनकी सराहना होनी चाहिए। लेकिन चर्चा तो इस नशे की भी होनी चाहिए। मैं लास्ट में दो लाइनें कहूँगा। आजकल राजनीतिक पार्टियाँ चन्दा लेती हैं। आदरणीय श्री अमित शाह जी यहाँ बैठे हुए हैं। जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए इन्होंने कहा था कि दो हजार रुपए से ऊपर कोई भी बिना एकाउंट के चन्दा नहीं ले सकता है। क्या चन्दा लेने वाले लोग यह समझते हैं कि वह चन्दा किससे लिया जा रहा है? ऐसी स्थिति में, मैं इस चर्चा को बहुत ही सकारात्मक मानता हूँ।

मैं इस चर्चा के अंत में सिर्फ दो लाइनें कहना चाहता हूँ कि कई लोग यहाँ पर बहुत अच्छी-अच्छी चर्चा करके विडियो वायरल करते हैं, लेकिन वे खुद भी सोचें कि क्या वे इतनी भयानक बीमारी को खत्म करने के लिए दिल से कोशिश कर रहे हैं?

बह्त-बह्त धन्यवाद।

श्री एम. बदरुद्दीन अजमल (धृबरी): ... (Interruptions)... *

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): माननीय अधिष्ठाता महोदय, बह्त-बह्त धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON: Please maintain the time limit.

SHRI RITESH PANDEY: Sir, I will finish my speech in two minutes. मैं सबसे पहले संविधान के अनुच्छेद 47 को यहाँ पर कोट करना चाहूंगा, "कि राज्य की विशेषताएं मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग और प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा।" यह अत्यन्त ही महत्वपूर्ण विषय है कि हम इसे रोकने के लिए जो कुछ भी हो सके, वह करें। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उनके द्वारा यह प्रयास हो रहा है और बहुत ही हिसाब से इस दिशा में चलने का काम हो रहा है। लेकिन मेरे क्षेत्र अम्बेडकर नगर के अन्दर पिछले तीन सालों में हमने देखा है कि हेरोइन की डिमांड और कंजम्पशन बढ़ता चला गया। खास तौर से, यह युवाओं के अन्दर पाया जाता है। नेपाल हमारे जिले के बॉर्डर से बहुत दूर नहीं है। वहाँ से भी मादक पदार्थ आने की बातें होती हैं। हमें यह भी पता है कि अफगानिस्तान और समुद्र के रास्ते से 70 परसेंट ड्रग्स आता है। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि एक बड़े लेवल पर और ग्रास रूट लेवल पर जो जानकारियाँ मिल सकती हैं, हालाँकि बहुत सारे तथ्य हमारे पास नहीं हैं, लेकिन अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं पुलिस तंत्र भी इसके अन्दर अपनी संलिप्तता दिखाता है। एक बहुत बड़ा इश्यू यह भी है कि हमारे देश में, चाहे अवैध शराब बन रही हो, चाहे ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा हो, इसे संरक्षण कहीं न कहीं पुलिस फोर्सेज के अन्दर जो लोग होते हैं, उनसे भी मिलता है। उसका एक प्रमुख कारण है।

Sir, I am concluding. I know that I have very little time as somebody from my Party has already spoken. सर, हमें यह देखने को मिलता है कि इसका संरक्षण कहीं न कहीं पुलिस के द्वारा भी किया जाता है। चाहे इसको लाने की बात हो या इसका व्यापार कराने की स्थितयां हों। मेरा इस सदन के माध्यम से आदरणीय गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि एक ऐसा कानून बने, जिसके अंदर, भले ही पुलिस राज्य का विषय है, लेकिन पुलिस यिद इन कामों में इनवॉल्वड रहती है, तो पुलिस के ऊपर भारी कार्यवाही होनी चाहिए। इसके साथ-साथ वह इन कामों के अंदर न घुसे इसके लिए खास तौर से जो सिपाही वर्ग है, इसकी तनख्वाह भी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इनकी तनख्वाह कम है और विकैंग आवर्स इतने ज्यादा है कि वे कहीं न कहीं अपनी जरूरतों को

about:blank 7/26

पुरा करने के लिए भी इन कामों के अंदर संलिप्तता करते हैं। अत: मेरा इस पटल के माध्यम से आदरणीय गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि कहीं न कहीं हमारे पुलिस विभाग के लिए एक खास कानुन बनाकर उसे सुधारा जाए। आपका बहत-बहत धन्यवाद।

श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी (बालासोर) : चेयरमैन सर, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सर, हम सब इस विषय के बारे में जानते हैं। नशे की भीषणता, भयावहता और मारकता के बारे में हमारा अनुभव है। इससे जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है, जैसा कि अभी बिहार में हआ। पंजाब के बारे में भी कई माननीय सदस्यों ने व्यापक तरीके से अपनी पीड़ा का व्याख्यान किया। परिवार पस्त हो जाता है, समाज ध्वस्त हो जाता है। हमारी सरकार का इन नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए जीरो-टॉलरेंस है। मैं मानता हूं कि हमारे मान्यवर प्रधान मंत्री जी और मान्यवर गृह मंत्री जी की प्रतिबद्धता में कोई संदेह नहीं है।

राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार को मिलित रूप से एक एक्शन प्लान बनाना है। इससे धन हानि भी होती है, प्राण पीड़ा भी होती है और इससे राष्ट्र की अंतरआत्मा कांप उठती है। रास्ते से कई लोगों को एक्सीडेंट के कारण उठाकर हम कभी-कभी हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। एक सर्वे के अनुसार 90 परसेंट से ज्यादा एक्सीडेंट्स का कारण नशा है।

सर, मैंने 20 सालों तक इसके लिए आंदोलन किया। मैंने देखा कि कुछ गांवों में तीन-चार महीनों में एक मुकदमा होता है। वर्ष 1999 और वर्ष 2000 में हमने दो-चार गांव नशामुक्त करवाए। आज तक इसमें एक भी मुकदमा नहीं चला। अकाल मृत्यु के कारण हमारी कई बहनें विधवा हो जाती हैं। नशे की सबसे बड़ शिकार हमारे माताएं हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे - "Our great national sin is neglect of women and tyranny over masses".

सर, माताओं को न्याय देने के लिए भारत को नशा मुक्त करना चाहिए। इसमें बहुत मेडिकल कष्ट होता है। जब हम आंदोलन चलाते थे, तो उस समय कलेक्टर बोलते थे और जब हम पिकेटिंग करते थे, तब एक्साइज सुपरिटेंडेंट बोलते थे। कभी-कभी जब मैंने विधान सभा में यह सवाल उठाया, तो सरकार ने भी उत्तर दिया। कलेक्टर और एक्साइज सुपरिटेंडेंट का कार्य यूनिफॉर्म अनुसार है, जैसी एक ट्रेनिंग हुई है। वे बोले कि दारू से हमको रेवेन्यु आता है। मैंने पूछा कि आपको क्यों रेवेन्यु की दरकार है? वे बोलते हैं कि हम नशे को एक्साइज डिपार्टमेंट द्वारा बंद नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको लीगलाइज़ करके इसकी सेलिंग करते हैं, सरकारी दुकान खोलते हैं। मैंने बोला कि पुलिस के द्वारा तो क्राइम को भी बंद नहीं किया जाता है, तो चोरी, डकैती, रेप, मर्डर के लिए क्या टेंडर निकालेंगे? क्या सरकार की मदद से यह चलेगा? इससे रेवेन्यु आएगा?

सर, मैं चाहता हूं, जैसे हम किसी को रोक नहीं सकते हैं, तो क्या हम इसको बंद नहीं कर सकते हैं? गुजरात में जैसे हुआ, वैसे ही कानून बनाना चाहिए और कानून का जो उल्लंघन करेगा, उसके लिए दंड की व्यवस्था होनी चाहिए, पीनल प्रोविजन होने चाहिए।

सर, हमारे यहां ओडिशा में वर्ष 1954 में जब मान्यवर श्री नवकृष्ण चौधरी जी मुख्य मंत्री थे, तो उन्होंने संपूर्ण नशामुक्ति के लिए एक बिल पास करवाया था। आज तक इस कानून को इफेक्टिव नहीं किया गया है। इससे परिवार असहाय होता है, एक बालक असहाय हो जाता है। कोई टीचर नशे के कारण एक्सीडेंट में मर गया, तो उसका बेटा असहाय हो जाता है।

मैंने एक गांव में देखा, जब हमने नशामृक्ति के लिए सत्संग चालु किया, इसके कारण उनको सर्वोदय समाज द्वारा सम्मानित किया गया, मैं खुद गया था। इससे कितनी पीड़ा होती है। वे पोस्ट विक्टिम हैं। कभी-कभी मैंने देखा, जब मैं बच्चों को स्कूल से लेने के लिए जाता था, तब एक बालक ने बोला कि मैं स्कूल नहीं जा सकता हूं। उसके पिताजी ने विरोध किया। मैंने बोला ऐसा क्यों? इस पर वह बोला कि मेरे पिताजी दारू पिएंगे, जिसके लिए पैसा चाहिए और उनको दारू पीने के लिए मुझको खदान में काम करने के लिए जाना पड़ेगा।

महोदय, आप सोच सकते हैं कि यह कितनी दिल को दुखाने वाली घटना है। हमारे एरिया में एक आदिवासी महिला को उसके पिता ने गरीबी के कारण बेच दिया और दिल्ली में उसकी शादी हुई। उसका पति उस महिला को नशे में बहुत मारता है और बाद में उसे जलाने के लिए रस्सी में बांध दिया। उस महिला के पति का बड़ा भाई... (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप उदाहरण छोड़िए, प्वाइंट पर बात कीजिए।

श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी: ठीक है महोदय। बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। डेढ़-दो साल पहले मैंने कोविड के समय देखा कि एक पुलिसकर्मी डुग्स कारोबार से कनेक्टेड था। डुग्स व्यापारी बोलता है कि मैंने पुलिस को तीन लाख रुपया दिया। पांच लाख रुपये में फाइनल बात हुई थी। मैंने बाकी दो लाख रुपया नहीं दिया, इसलिए मैंने डीजी को लैटर विडियो क्लीप के साथ दिया। एसपी को भी लैटर और विडियो क्लीप दी। उस पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया लेकिन अरेस्ट नहीं किया गया। मैंने बार-बार प्रेशर डाला। यदि पुलिस संलिप्त हो जाएगी, तो लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? कॉमन मैन के लिए अलग प्रैक्टिस और वीआईपी लोगों के लिए अलग प्रैक्टिस, यह डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। राज्यों में क्या स्थिति है, यह हम जानते हैं। चुनाव के समय शराब बांटना बहुत खतरनाक स्थिति है।

माननीय सभापति : धन्यवाद, आप बैठ जाइए।

श्री बैन्नी बेहनन।

श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी : महोदय, केवल एक मिनट का समय दीजिए।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

There is a strict direction from the hon. Speaker that by sharp 2 pm, we have to conclude the debate. Thereafter, the hon. Home Minister would reply to the debate. More than 20 speakers are there. Two to three minutes each is the allotted time. Kindly cooperate with the Chair.

श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी: सभापित जी, नशे के कारण डाक्टर ऑपरेशन टेबल पर अनर्थ कर देता है। ड्राइवर एक्सीडेंट कर देता है, टीचर गलत काम करता है, पुलिस ड्यूटी पर सो जाती है। नशे की प्रस्तुति भी विषाक तरीके से होती है। गैरकानूनी ड्रग्स कारोबार से ब्लैकमनी आती है और देश की सुरक्षा को भी खतरा पैदा होता है। इससे आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। नए भारत के निर्माण के लिए हमारे बुद्ध, गांधी जी, विवेकानंद जी, हमारे मान्यवर नरेन्द्र मोदी और मान्यवर गृह मंत्री जी ने जो स्वप्न देखा है, इस भारत को नशा मुक्त करना चाहिए और इसके लिए एक सैंट्रल लेजिस्लेशन होना चाहिए। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री बैन्नी बेहनन।

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Sir, since yesterday, we have been discussing this subject. Many hon. Members have expressed their views and concern, which I share. This discussion itself gives a strong message that our Government and the august House are concerned about the subject.

Substance abuse is a global concern that has been negatively impacting the physical and psychosocial well-being of the population. In India, over the past few years, the prevalence of drugs and illicit liquor has increased. Alcohol is the most commonly used psychoactive substance in India, followed by cannabis and opioids, with 16 crore, 3.1 crore, and 2.26 crore individual users, respectively.

The use of drugs and alcohol has a negative impact on a community, and it is well recognized that substance abuse is a major cause of premature death and disease. According to the Center for Disease Control and Prevention (CDC), since 1999, drug overdoses alone have resulted in the deaths of about one million people in India.

According to data from the Narcotics Control Bureau (NCB), ten crore people in the country are currently dependent on various narcotics. There are reportedly 1.58 crore children in the nation that are addicted to drugs between the ages of 10 and 17 as well. The sad fact is that it is not only the narcotic substance users that are being affected by substance abuse, in fact, women and children in the families are also socio-economically and psychologically severely impacted by the substance abuse. It is estimated that 5.7 crore people are affected by alcohol addiction and 25 lakhs by cannabis addiction dependence.

13.00 hrs

The situation has become worse as synthetic meth, as mentioned earlier, and other drugs are flowing into the nation through Afghanistan and Pakistan. The huge inflow of marijuana and heroin is increasing the availability of drugs to even school students in Kerala. According to the National Crime Records Bureau's most recent data, 3,060 kg of drugs were seized from various locations throughout Kerala. According to the law enforcement officials, 1,3694 kg of marijuana had been smuggled into the State for street sale.

Today, even young children in schools are used as tools for peddling drugs. To cite an example of their plight, I would like to inform this house that, not many days ago, a 13-year-old girl in Kozhikode in Kerala reported that the psychoactive drug sellers used her as a carrier.

To tackle this grave situation, the way forward is to primarily cut the supply of narcotic drugs and psychotropic substances through strictly monitoring the ocean and borderlines. The Governments should simultaneously ensure that the domestic production of illicit liquor and drug should be strictly monitored and rigorous measures should be envisaged to penalise the violators. For that, the narcotics and excise departments should be strengthened, as well as the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act should be stringently followed.

Furthermore, education curricula should impart awareness of substance usage including that of alcohol. For the same, NCERT recommended that school textbooks should include information on drug misuse and its harmful effects so as to sensitize children at their young age itself.

To conclude, India has always been ideally reminded and guided by Mahatma Gandhi's ideology. So, I would urge the parliament to invoke the Gandhian principles of prohibition of intoxicating drinks and drugs as Government's policy and, therefore, endeavour to prohibit the use of intoxicating drinks and drugs in India.

SHRI DILIP SAIKIA (MANGALDOI): Sir, thank you for giving me the opportunity to speak on the issue of drug abuse in the country and steps taken by the Government. महोदय, मैं अपने देश की इस बड़ी समस्या, ड्रग एब्यूज के लिए सदन के पक्ष तथा विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि किसी पॉलिटिकल

फायदे के लिए इस विषय पर कोई कुछ न बोलें। देश के सामने यह एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसका समाधान हम सबको मिलकर करना है। भारत सरकार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के लिए 'जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट ड्रग एब्यूज' की जो नीति अपनायी है, उसके परिणाम स्वरूप मादक पदार्थों की आपूर्ति में कमी आयी है, इस संबंध में मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। महोदय, वर्ष 2006 से 2013 तक पूरे देश में कुल 1,256 मामले रजिस्टर्ड हुए थे और वर्ष 2014 से 2022 तक ये बढ़कर 3,172 हो गए, जो 152 प्रतिशत ज्यादा है। वर्ष 2006 से 2013 तक जो ड्रग पैडलर्स अरेस्ट हुए, उनकी संख्या 1,363 है और वर्ष 2014 से 2022 तक उनकी संख्या 2,888 है, यानी 216 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है। जो शेष ड्रम्स हैं, उनका आंकड़ा वर्ष 2006 से 2013 तक 1.52 लाख किलो है और वर्ष 2014 से 2022 तक ये बढ़कर 3.33 लाख किलो हो गया है, जो कि दो गुने से भी ज्यादा है। इसका एक ही मतलब है कि माननीय प्रधान मंत्री श्री मोदी जी एवं गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने हेतु भारत सरकार ने जो नीति अपनायी है, उसके परिणाम हमारे सामने हैं। महोदय, मैं एक बहुत ही संगीन विषय उठाना चाहता हूं, जो कि हमारे देश के युवाओं के सामने खड़ा है। भारत युवाओं का देश है। यहां की 60 प्रतिशत आबादी 40 साल से कम आयु की है, लेकिन 20 साल से कम आयु के जो लोग हैं, उनमें 10 में से 9 लोग ड्रम्स लेते हैं। यह एक बहुत भयानक तथ्य है।

इसीलिए इस व्याधि को खत्म करने के लिए हम सब लोगों को एकसाथ इकट्ठा खड़े होना चाहिए। महोदय, मैं असम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। नॉर्थ-ईस्ट के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि म्यांमार से होकर जो ट्रांजिट रूट है, उससे ड्रम्स आती है, नॉर्थ-ईस्ट में भी ड्रम्स का बहुत बड़ा उपयोग होता है। उसकी रोकथाम के लिए नॉर्थ-ईस्ट में सरकार ने काफी प्रयास किया है। असम सरकार ने, विशेषकर मैं बताना चाहता हूँ कि मई 2021 से 18 दिसंबर 2022 तक असम गवर्नमेंट ने, डॉ. हिमन्त बिश्व शर्मा जी के नेतृत्व में जो असम सरकार है, टोटल 4,666 केसेज रिजस्टर्ड हुए हैं। अभी तक करीब 1,114 करोड़ रुपये की ड्रम्स बरामद हुई और उसे नष्ट किया गया है। इसका मतलब है कि असम सरकार ने भी प्रतिबद्धता के साथ ड्रम्स एब्यूज के खिलाफ, ड्रम्स व्यापार के खिलाफ बहुत कड़ी व्यवस्था ली है। मैं इस सदन के सामने एक ही विषय रखना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को जो सपने दिखाए हैं, उन्होंने उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जो कार्यक्रम हाथ में लिये हैं, उन कार्यक्रमों को पूरे देश भर में सभी सरकारें - केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकारें और केन्द्र शासित प्रदेश - सभी लोग एकसाथ होकर लागू करें और इस व्याधि को खत्म करने के लिए सभी लोग एक साथ मिलकर काम करें। मेरा इतना ही कहना है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Thank you, Sir. I rise to speak on the drug abuse problem in the country. The Home Minister is not here. But I see that he does not display the same sense of urgency in removing drug abuse as he does in political capturing in Gujarat.

कई माननीय सदस्य: राज्य मंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं।... (व्यवधान)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निशीथ प्रामाणिक): मैं यहाँ पर हूँ। क्या आपको दिखाई नहीं देता है? ... (व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY: Ministers of State are ... * ... (Interruptions)

Sir, he does not display that sense of urgency. There is a Nasha Mukt Bharat Abhiyan. It is only in 272 districts, only half the districts in the country. Many questions have been raised during this debate. I would like the Home Minister to reply to the same.

Is the Home Minister thinking of capital punishment for possession of drugs as is there in Singapore? What about misuse of NDPS Act, 1985 wherein policemen put people under NDPS for getting some money but not to fight drug dealers? What about the use of sea route? Why is Gujarat, especially the port of Mundra owned by Adani, revealing so many drug seizures? What is the Government doing about drones which are carrying drugs over the Punjab border? All the drug dealings are happening through the Dark Web and by the use of cryptocurrency. What is the Government doing in controlling the Dark Net or the cryptocurrency?

There are many complaints about the Narcotics Control Bureau. We know the case of ...*, an officer who arrested Shahrukh Khan's son. NCB is full of such people who indulge in corruption.

Sir, drugs are the biggest problem in the world today. The total trafficking is worth a staggering 650 billion dollars. In India, 22,000 people die because of drugs. We have many drugs. We have cannabis, that is ganja and charas. We have opiates sold as opium, heroine, smack, pharma opiates. We have medicinal drugs, sedatives used as drugs. We have the inhalers which are maximum used by children. Another drug category is hallucinogens. They are also used in limited circles. What is the Government's plan about them?

Sir, the problem is not with people in high places in Mumbai, the film world, who are high on drugs. The problem is with the poor people. I see the rickshawalas sitting on their rickshaw and smoking ganja. I see the vegetable vendor going to a corner of the road and taking smack through a small pipe.

We are not saving them. We are driving them towards death. So far, all the steps of the Government have been inadequate. We need a national movement for removal of drug abuse. We need a total consciousness campaign, as you had mentioned in your speech. We need urgent action by the

Government of India. Surveys on all these drugs are there. I am not talking about the Medellin Cartel of Columbia. I am not talking about the drug lords of Mexico.

HON. CHAIRPERSON: Thank you. Now, the hon. Minister.

PROF. SOUGATA RAY: But in India, there are small Medellin Cartels who receive support from some powerful circles. I want to know what the powerful Home Minister, who displays his political अगली बार 200 पार in those places ... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Thank you.

PROF. SOUGATA RAY: Lastly, I want to say that our State, West Bengal is still better. Uttar Pradesh has the highest number of cannabis users followed by Punjab, Sikkim, Chhattisgarh and Delhi.

HON. CHAIRPERSON: Sougata ji, please conclude.

PROF. SOUGATA RAY: Sir, my last point is this. Out of the total opioid users, roughly one-third are from Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, Maharashtra and Delhi.

HON. CHAIRPERSON: Next, hon. Minister, Som Prakash ji.

PROF. SOUGATA RAY: Nearly seven per cent of the population in Mizoram consumed opioids followed by Nagaland, Arunachal Pradesh and Sikkim. We are still better. But what is the Government doing about the biggest State, Uttar Pradesh wherein in some places cannabis is cultivated openly? ... (*Interruptions*)

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम प्रकाश): सर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बहुत ही इम्पोटेंट और संवेदनशील मसले पर, जो देश में व पंजाब में ड्रम्स का मसला है, उसके बारे में बोलने का मौका दिया। कहते हैं कि ड्रम्स का बिजनेस दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट बिजनेस है। अगर पंजाब की बात करें, तो पंजाब गुरुओं, पीरों की धरती है। पंजाब में, जहां वेद लिखे गए हैं, जहां गुरु ग्रंथ साहिब की रचना हुई, पंजाब को हम भांगड़े के लिए जानते थे, गिद्धे के लिए जानते थे। हम कटारियों के लिए जानते थे, लेकिन आज पंजाब नशे के लिए जाना जाता है। पंजाब के नौजवान नशे से बुरी तरह पीड़ित हो रहे हैं। सर, ड्रम्स पाकिस्तान से ड्रोन्स के जिरये आती है और हथियार भी आते हैं। पंजाब में ड्रम्स की वजह से लॉ एंड ऑर्डर की काफी बुरी हालत हो गई है। चोरी, डकैती, रेप, मर्डर ये सब लोग करते हैं। वहां इस तरह की काफी प्रॉब्लम्स है। पंजाब के एक डीजीपी शंशिकांत हुए हैं, उन्होंने कहा कि पंजाब में 60 हजार करोड़ रुपये के ड्रम्स का लेन-देन होता है और उन्होंने कहा था कि मैंने 15-20 पॉलिटिशियन्स, ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स और आईएएस ऑफिसर्स के नाम दिए हैं, जो इस काम में शामिल हैं, लेकिन पंजाब में उसमें कोई एकशन नहीं हुआ। पंजाब विधान सभा में भी यह मसला कई बार डिस्कस हुआ है, लेकिन वहां पार्टीबाजी और एक दूसरे पर एक्यूज करने में लगे रहते हैं। ड्रम्स के मसले को सॉल्व करने में किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसलिए पंजाब की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी है। सर, आपने दो-तीन मिनट बोलने के लिए कहा है। मैं एक-दो उदाहरण दूंगा। अमृतसर में एक गांव मकबूलपुरा है, उसके 384 परिवार इस नशे की लत में हैं और एक गांव के 100 आदमी जेल में बैठे हुए हैं। वहां के 60 परसेंट लोग नशा करते हैं। तरन तारन के पास में एक पिंड अगाड़ है, वहां का एक लड़का सतबीर सिंह जिम चलाता है। उसके कहा कि हम 40 लोग थे और एक ही क्लास में पढ़ते थे, जिनमें से 30 लोग नशा करते हैं। उसके दूध में नशा आया, इसलिए वह दूसरा दूध पीता नहीं है। वह उस दूध के बगैर रह नहीं सकता। उसकी हालत यह है कि वह कुछ नहीं बोलता है। पंजाब में इस तरह की हालत हो रही है।

सर, पटियाला में एक गांव रसूलपुर है, जिसमें एक लड़के ने बताया कि वहां पर 9 से 10 साल के 24 लड़के नशा करते हैं। सर, इस तरह की हालत पंजाब में है। पंजाब में नशा छुड़ाने के लिए सारी पार्टियों को एक दूजे पर एक्यूज़िशन करने के बजाय साथ लड़ कर एक जोरदार मुहिम चलानी पड़ेगी। ऐसा होता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को एक्यूज़ करती है, दूसरी पार्टी को एक्यूज़ करती है। मैं पंजाब विधान सभा में भी रहा हूँ। वहां एक पार्टी उठ कर एक खास लीडर को एक्यूज़ करती है और दूसरी पार्टी का नेता उठ कर कहता है कि मैं दावे से कह सकता हूँ कि यह लीडर ऐसा काम कर नहीं सकता है।

सर, हमारा काम पंजाब को बचाने का है। अगर देश को बचाना है तो पंजाब को बचाने की जरूरत है। देश की सारी पार्टियां नशे को खत्म करने के लिए एकजुट हों और पार्टी लाइन से ऊपर उठ कर काम करें। धन्यवाद।

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): सभापित महोदय, पूरी दुनिया में एंटी ड्रग डे सेलिब्रेट किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से इस दिवस की स्थापना साल 1987 में हुई थी। हालांकि इतने प्रयासों के बावजूद देश दुनिया में अभी भी लोग नशे की लत के शिकार हो रहे हैं, जो निन्दनीय है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट बताती है कि 2009 की तुलना में 2022 में भारत में ड्रग्स लेने वालों की संख्या 40% बढ़ गई है। वहीं, नेशनल ड्रग डिपेंडेंट ट्रीटमेंट (एनडीडीटी), एम्स की 2019 में आई रिपोर्ट बताती है कि भारत में 16 करोड़ भारतीय शराब का सेवन करते हैं, 3.1 करोड़ भारतीय गांजे का सेवन करते हैं, 2.3 करोड़ भारतीय ओपियोइड (अफीम) का सेवन करते हैं, 77 लाख भारतीय इनहैलेंट्स का इस्तेमाल करते हैं और 8.5 लाख भारतीय इंजेक्शन के

जरिए ड्रम्स लेते हैं। महोदय, ड्रम्स की लत इतनी बुरी होती है कि ये मिल जाए तो भी जान का खतरा है और न मिले तो भी इसका असर हो जाता है। एनसीआरबी के मुताबिक भारत में हर दिन 21 लोगों की जान डम्स से होती है। इनमें 7.860 लोग ऐसे थे, जिन्होंने डम्स की वजह से ससाइड कर लिया था।

महोदय, देश में बहुत सी जगहों पर खांसी की दवाओं का इस्तेमाल नशे के लिए किया जा रहा है। मेडिकल स्टोर संचालक युवा पीढ़ी को बर्बाद कर मुनाफा कमाने में लगे हैं। नारकोटिक्स और ड्रग विभाग कार्रवाई के नाम पर एक-दूसरे को जिम्मेदार बता रहे हैं। बाजार में करीब 41 तरह के कफ सीरप हैं। ज्यादातर में कोडीन फॉस्फेट का सॉल्ट है जो प्रतिबंधित है। बिना डॉक्टर के परामर्श के यह दवा नहीं मिल सकती, लेकिन देश में कुछ जगहों पर इन नियमों को दरिकनार कर यह धंधा बड़े पैमाने पर हो रहा है।

सभापित महोदय, मुंबई में प्रतिबंधित नशीली दवा 'कोडीन' (Codeine Drug) से युक्त कफ सिरप (Cough Syrup) का व्यापर बड़े जोरों से चल रहा है। इसका इस्तेमाल रेव पार्टियों में ज्यादा किया जा रहा है। कोडीन फॉस्फेट युक्त 100 एमएल के कफ सीरप की अधिकतम कीमत 165 रुपये है। लेकिन कई मेडिकल स्टोर्स संचालक 450 रुपये तक का एक कफ सीरप बेच रहे हैं। जानकारों के मुताबिक इसमें शराब से ज्यादा नशा होता है और खास कर युवा वर्ग इन सीरप को ज्यादा खरीद रहा है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि कोडाइन फॉस्फेट को विशिष्ट खाद्य श्रेणी में रखा जाए ताकि कोडाइन / फेंसिड्रिल के कारोबार को मादक पदार्थों की रोकथाम करने वाले कानून के तहत लाया जा सके।

महोदय, मेरे मुंबई क्षेत्र में सबसे ज्यादा ड्रम्स का असर है। ड्रम्स को आप 2 कैटेगरी में देखना चाहिए। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब आप अपनी बात समाप्त करें।

... (व्यवधान)

श्री राहुल रमेश शेवाले: सभापति महोदय, मैं ग्रुप लीडर हूँ। मेरी पार्टी से किसी ने नहीं बोला है। मैं पहली बार अपनी पार्टी की तरफ से बोल रहा हूँ।

महोदय, अगर आप मुंबई को देखेंगे तो उसे 2 हिस्सों में देखा जाएगा। एक तो जो रिच पीपल्स हैं, वे हेरोइन और कोकेन का सेवन करते हैं और जो लोअर इनकम ग्रुप है, आप देखेंगे तो वे कफ सीरप का सेवन करते हैं और स्लम में आप देखें तो वे लोग ब्रेड के ऊपर आयोडेक्स लगा कर सेवन करते हैं।

माननीय सभापति : अब आप समाप्त कीजिए। आपकी पार्टी से Vinayak Raut ji has already spoken.

... (Interruptions)

श्री राह्ल रमेश शेवाले : सर, वे हमारी पार्टी में नहीं हैं। ... (व्यवधान) मैं फ्लोर लीडर हूँ। ... (व्यवधान) बस 2 मिनट में अपनी बात कनक्लूड कर रहा हूँ। ... (व्यवधान)

आप देखेंगे तो मुंबई में जो हाई इनकम ग्रुप है, रिच पीपल्स हैं, वे अलग सेवन करते हैं और जो गरीब हैं, वे अलग सेवन करते हैं। जब सेंट्रल गवमेंट की अथॉरिटी मुंबई में एक्शन लेती है तो जब सेलेब्रिटी रहेगा तभी उस पर एक्शन लेती है और बाकी एक्शन नहीं लेती है। जो एक्शन राज्य सरकार को स्लम में लेना चाहिए, वह भी न होने की वजह से मुंबई में इसका ज्यादा से ज्यादा असर हो रहा है।

महोदय, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने एक गंभीर विषय पर बोला है, जिस पर मैं भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरे बहुत से पूर्व वक्ताओं ने सुशांत सिंह राजपूत, जो हमारे प्रसिद्ध अभिनेता थे, उनकी मौत के बारे में एक विषय निकाला था। सभी ने उस बारे में एक गहरी चिंता व्यक्त की थी। उस वक्त सुशांत के केस में 3 लैवल पर इंक्यावरी हुई थी

महोदय, मैं एक गम्भीर विषय के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे पूर्व वक्ताओं ने प्रसिद्ध अभिनेता सुशांत की मौत का विषय उठाया। सभी ने उसके बारे में गहरी चिंता व्यक्त की। सुशांत के केस में तीन लेवल पर इंक्वायरी हुई थी। मुम्बई पुलिस ने इंक्वायरी की थी, बिहार पुलिस ने इंक्वायरी की थी और बाद में सी.बी.आई. ने भी इंक्वायरी की थी। लेकिन, बहुत सारे प्रश्न आज भी लोगों के मन में उपस्थित हैं और उनके जवाब अभी तक नहीं मिले। वे प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं। सुशांत सिंह राजपूत के केस की सी.बी.आई. जांच का क्या स्टेटस है? मौत के कारणों के सम्बन्ध में क्या सी.बी.आई. किसी निष्कर्ष पर पहुंची है? क्या यह सच है कि सुशांत सिंह राजपूत के शरीर पर हाथापाई और स्टेन्गन के निशान थे? क्या सुशांत सिंह और उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के बीच फोन पर हुई बातचीत की जांच की गई है? कौन थे वे लोग, जो सुशांत सिंह राजपूत के घर के आस-पास आए थे?... (व्यवधान) उसका लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण छीन लिया।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप कन्क्लुड कीजिए।

श्री राहुल रमेश शेवाले: क्या रिया चक्रवर्ती के मोबाइल संचार की जांच की गई? क्या यह सच है कि वह महाराष्ट्र के एक प्रमुख राजनेता के सम्पर्क में थी और उसकी दोस्ती थी?

इसमें 'ए.यू.' का नाम आया है। सुशांत के पहले, रिया चक्रवर्ती को 44 कॉल्स 'ए.यू.' के आए। 'ए.यू.' को लीगल में अनन्या उद्धव कहते हैं, लेकिन बिहार पुलिस ने इंवेस्टीगेशन किया था ... * करके, तो ... * का नाम आया था। इसकी भी इंवेस्टीगेशन होनी चाहिए।... (व्यवधान)

सर, मैं कन्क्लूड कर रहा हूं।

माननीय सभापति : लास्ट सन्टेन्स बोल कर आप कन्क्लुड कीजिए।

श्री राहुल रमेश शेवाले : सभापति महोदय, 'ए.यू.' का विषय बहुत ही गम्भीर है। 'ए.यू.' अनन्या उद्धव नहीं है, 'ए.यू.' ... * है, ऐसा बिहार पुलिस ने कहा है। मुम्बई पुलिस का इंवेस्टीगेशन अलग है, बिहार पुलिस का अलग है और सी.बी.आई. का अलग है। लोगों के मन में प्रश्न हैं तो इसकी जानकारी लोगों को मिलनी चाहिए।

महोदय, मैं आदरणीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह के बीच मोबाइल संचार की जांच होनी चाहिए और दिशा सालियान की मौत की परिस्थिति और उसके कारणों की जांच होनी चाहिए।... (व्यवधान)

SHRI P. RAVINDHRANATH (THENI): Hon. Chairperson, Sir, thank you for allowing me to speak on the problem of drug abuse in the country and steps taken by the Government. Hon. Chairperson, Sir, as per the data published by the National Crime Records Bureau, about 13,69,944 kilograms of drugs were seized in India in the year 2020 alone. I wish to address my colleagues in the Opposition -- who are concerned about larger seizures -- that we should rather appreciate our enforcement agencies for seizing them before being peddled to our youth. Our hon. Home Minister has already adopted a policy of 'zero tolerance against drugs'. I would like to request the Government to mandate all schools of the country for compulsory classes on the ill-effects of drugs and substance abuse as a part of academic curriculum from Class 5th onwards. The synthetic drugs like LSD and MDMA have also entered the market, and these drugs cannot be detected easily. So, I request the hon. Minister of Home Affairs to provide Artificial Intelligence technology to all the enforcement agencies, including those guarding borders, airports and seaports for detecting trafficking of drugs. Hon. Chairperson, Sir, my concern about the use of Dark Net and cryptocurrency in illegal drugs trade has already been addressed by the hon. Minister of Home Affairs at the Apex Level Committee of Narco Coordination Centre meeting in December, 2022. There are possibilities of misuse of law especially on account of low conviction rates under anti-drug laws. In this regard, I wish to make two important requests to the Government in order to protect the rights of both the accused and victims, and to also, uphold the national interest. First, I would like to request the hon. Minister to bring suitable amendments in legislation to provide that all evidence in favour of the accused shall be supplied to the accused for defence. Such fair disclosure will also save judicial time. Secondly, I would also like to request the Government to establish a national monitoring committee,

Finally, I want to finish with this point. I wish to say that this exercise cannot be left only in the hands of the enforcement agencies. Rather, every citizen, parents and teachers have to take responsibility to stop the menace of drug abuse in the country. Citizens should become the eyes and ears of the enforcement agencies for drug elimination.

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, the Chair decides to accommodate all the Members. But all of you have to cooperate with the Chair by taking 2-3 minutes. With this request, next speaker is Shri Jagdambika Pal Ji.

SHRI JAGDAMBIKA PAL (DOMARIYAGANJ): Thank you, Sir.

But I must also thank you that you have made this announcement before my speech and not before others' speech. I have to confine myself within 2-3 minutes. यह ठीक है, अब मैं अपने सभी साथियों को धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम मेरे लिए बात कर रहे हैं।

अधिष्ठाता महोदय, चाहे दानिश भाई हों, रितेश पाण्डेय जी हों, वह कह रहे हैं कि दो मिनट के आगे जीरो लगा दीजिए। अगर 20 मिनट्स की बात है तो मैं सबका आभार व्यक्त करूँगा। अगर मैं इस विषय की गंभीरता की बात करूँगा तो कम से कम आप इसका आधा समय दे देंगे।... (व्यवधान)

अधिष्ठाता महोदय, मैं उन बातों की पुनर्रावृति नहीं करना चाहता हूँ, जो बातें कल से बड़ी गंभीरता से हमारे माननीय सदस्यों ने कही हैं। निश्चित तौर से देश-दुनिया के लिए यह एक चिंता का विषय है। यह केवल किसी एक व्यक्ति को नुकसान नहीं करता है, बल्कि पूरी पीढ़ी को नुकसान कर रहा है, जिस पर किसी देश का भविष्य मुनहसर करता है और किसी देश के भविष्य का

about:blank 13/26

मुस्तकबिल निर्भर करता है। इसलिए, यह सभी के लिए चिंता का विषय है। यह कोई राजनीतिक विषय नहीं है। यह ठीक है कि वह हमारे मित्र हों, कहीं किसी पक्ष में बैठे हों, तो वह अपनी बातों में कहीं न कहीं सरकार पर कुछ आक्षेप और आरोप करें। यह एक आदत-सी है। मैं केवल एक बात कहना चाहता हुँ। मैं स्पीकर साहब को भी धन्यवाद देता हुँ।

महोदय, आप भी इस सदन के विश्व सदस्य हैं। जब भी कॉलिंग अटेंशन में विषय स्वीकृत होता है तो जिस माननीय सदस्य का कॉलिंग अटेंशन होता है, उसको बोलने के लिए दो मिनट का अवसर होता है। मिनिस्टर उनको रेस्पॉन्ड करता है। लेकिन, हमारी सरकार ने इस विषय को गंभीरता से लिया है। इसको कॉलिंग अटेंशन के बजाय नियम 193 में संसदीय कार्य मंत्री ने स्वीकार कर लिया है। आज इस विषय पर पूरा सदन पार्टिसपेट कर रहा है। निश्चित तौर से हमारी सरकार इस विषय पर बहुत गंभीर है। वह केवल इस सदन में गंभीर नहीं है, बिलक जब से हमारी सरकार आई है, इसके खिलाफ, एक युद्ध नशे के विरूद्ध हो, इसको एक अभियान बनाकर चलाया है।

महोदय, आपको याद होगा कि जिस तरह से देश में पहली बार हुआ, हमारे पंजाब के लोग बैठे हैं, अभी माननीय सोम प्रकाश जी पंजाब की बात कर रहे थे, उनको सुनकर जिस तरह से तकलीफ हो रही है कि जो बच्चा पैदा हुआ हो, अगर वह अपनी माँ के दूध से ही एडिक्ट हो तो उस जेनरेशन का क्या होगा?

पंजाब के लोग आज पूरी दुनिया में हर जगह हैं। उन्होंने अपना एक मुकाम हासिल किया है, वे कनाडा की सरकार में होंगे, ब्रिटिश सरकार में होंगे। लेकिन आज पंजाब में इस प्रकार की पीढ़ी हो रही है, यह हमारे लिए चिंता का विषय है।

महोदय, पहले हम क्या करते थे? अगर पहले कोई ड्रग एब्यूज में एन्गेज होता था तो उसके खिलाफ शासन-प्रशासन द्वारा कार्रवाई होती थी, एफआईआर हो दर्ज हो जाती थी और वह जेल चला जाता था। इस प्रकार वह एक्टिव थी, लेकिन आज हम प्रो-एक्टिव हो गए हैं। आज केवल गृह मंत्री जी ने नहीं कहा, हमारे गृह मंत्री जी द्वारा 30 जुलाई, 2022 को देश में पहली बार चार स्थानों पर लगभग 30,000 किलो नारकोटिक्स को जिस तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया है, यह इस बात का सबूत है कि अब हम प्रो-एक्टिव होकर देश के नशा मुक्ति अभियान में केवल कैरियर्स को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, बिल्क उन सारी चीजों को भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। एक स्पेशल प्रोग्राम चलाकर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चंडीगढ़ में स्वयं गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने इसमें पहल की है। आज हम केवल एक कैरियर को पकड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। माननीय गृह मंत्रालय का निर्देश है कि अब चाहे कैरियर हो, किंगपिन हो जिसने उससे प्रॉपर्टी जेनरेट की हो, उसके इंटरनेशनल कनेक्शंस हो, आज हम केवल इस ड्रम्स के एब्यूज को नष्ट नहीं करना चाहते हैं, बिल्क उसको पूरी तरह से क्रैक कर देना चाहते हैं, चाहे उसका राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय कोई भी संबंध हो। यह इस तरीके की एक पहल है।

महोदय, अगर आप एक रिपोर्ट देखिए कि आज क्या स्थिति है। अगर आप यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रम्स एंड क्राइम्स की वर्ल्ड रैंकिंग रिपोर्ट 2022 की रिपोर्ट देखें तो आज पूरे विश्व में 28 करोड़ 40 लाख लोग हैं। यह केवल इसी देश की चिंता की बात नहीं है। आज आप सरकार के ऊपर बात करते हैं, क्या आपने अपने मुहल्ले, शहर और गांव-घरों में नहीं देखा है? कौन माँ-बाप चाहता है कि हमारा बच्चा ड्रग एंडिक्ट हो जाए?

ऐसा कोई नहीं चाहता है। यह एम्स की रिपोर्ट है कि almost 80 per cent parents are unaware of their child's drug addiction. Most of them learn about it after one or two years and by that time, the children become regular addicts according to a study conducted.

मुझे लगता है कि हमने प्रेसीड्स ऑफ क्राइम में काम किया है। इस बात पर चाहे एम्स की रिपोर्ट हो कि 3.1 करोड़ लोग ड्रम्स का उपयोग करते हैं या हमारे वर्ल्ड में लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। ड्रम्स का थ्रेट क्या है? इंडिया में, हमारे युवाओं में भविष्य में ड्रग एडिक्शन का खतरा बढ़ रहा है। हम उसको नहीं दोहराना चाहते हैं कि गोल्डन ट्राइएंगल में चाहे थाइलैंड, म्यांमार की बात करें, लेकिन सीमाओं पर गोल्डन क्रिसेंट को भी रोका है। पंजाब की बात पर सोम प्रकाश जी ने कहा ही है कि 33 पसेंट क्राइम बढ़ गया और उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़े एमाउंट पर हो रहा है। भारत सरकार इसके लिए अनेक उपाय कर रही है। हमने ई-पोर्टल लांच किया है, सर्विस इन्फॉर्मेशन ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल, 2019 को लांच किया है, एनडीपीएस में काम कर रहे हैं, ड्रग एब्यूज को कंट्रोल करने के लिए नेशनल फंड क्रिएट किया है और एक प्रोजेक्ट 'सनराइज स्कीम' किया। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के हिसाब से, जो मेडिकल रिहैब की बात हो रही है, मैं उसको विस्तार से नहीं कहंगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फेमिली वेलफेयर ने वर्ष 2016 में इसे किया है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति: जगदम्बिका पाल जी, समाप्त कीजिए। आपको बोलते हुए 6 मिनट हो गए।

श्री जगदिम्बका पाल : मैं कंक्लूड कर रहा हूं। ... (व्यवधान) प्रधान मंत्री जी ने अमृत महोत्सव में कहा कि ड्रग फ्री इंडिया हो। आज पहली बार उस अमृत महोत्सव में हमारे गृह मंत्रालय ने, अमित शाह जी ने एक संकल्प लिया है कि हम भारत को नशामुक्त बनायेंगे। आइए, आज हम सब लोग एक हों और राजनीति से ऊपर उठें। आज बड़े लेवल पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसमें गम्भीरता से जो संकल्प निकलेगा, उसे संसद सदस्य अपने क्षेत्रों में, अपने जिलों में लागू करेंगे। यह केवल एक दायरे में, मेट्रो सिटीज़ तक सीमित नहीं रह गया है। आज यह कैपिटल्स में, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक फैल रहा है। इसको रोकने का संकल्प हम सभी को लेना होगा।

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Hon. Chairman Sir, I thank you for giving me an opportunity to participate in this important debate.

According to the Comprehensive National Survey on the Extent and Pattern of Substance Use in India, 2018, 14.6 per cent consume alcohol, 2.8 per cent consume cannabis and 2.1 per cent resort to opiates. In a country with a population exceeding 130 crores, these numbers should worry all of us present

over here. In fact, 1.58 crore children aged between ten years and seventeen years are addicted to substances in the country. The number of alcohol

consumers aged ten years to seventeen years amounts to 30 lakhs while cannabis users in the same age group are about 20 lakhs. And we can safely say

these numbers are under-reported. So, the actual numbers are even more. These are Indians who are legally and, more importantly, emotionally classified as

children. This is a problem because the maturing brain in adolescents is particularly more vulnerable to the acute use of drugs, and drug use during

adolescence increases the chances of substance use disorder later in life. However, in order to tackle this issue, we need to understand our geography and

the geopolitics behind it. India is sandwiched between two major drug producing rings of the world, namely, the Golden Cresent (Pakistan, Iran, Afghanistan)

and the Golden Triangle (Thailand, Laos, Myanmar). Hence, India is located in a location that will inevitably make it vulnerable to drug trade. Since many of

the drug trade supply chains are international, it becomes all the more pertinent to take up these negotiations with neighbouring countries and evolve regional

security architecture to combat the issue. Platforms like SAARC, ASEAN and regional NSAs meet could serve as a great platform for the Central Government

also. Drug abuse also impacts families economically and impoverish them while making their generations more likely to be in poverty. According to a paper by

the National Institute on Drug Abuse, weekly expenditure on drugs amount to 13 dollars and the total expenditure ranges between 250 dollars and 25,000

dollars. This is a huge amount for a country like India. There is also a liquor connection to drugs. In the name of banning liquor, in most cases, we have been

observing that the State Governments take over the liquor business. Underground liquor mafia and black markets with spurious liquor start to flourish. Instead

of reduction in addiction, it leads to increase in deaths due to consumption of spurious liquor. Some of those who are trying to avoid adulterated liquor will shift

to other alternatives like drugs to sustain their addiction.

In 2020, NCRB reported almost 60,000 cases under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, which was reportedly a two-fold

increase in the last decade alone. Clearly, a legal-only approach towards drug abuse and addiction is not yielding satisfactory results.

Instead of a retributive justice and punitive framework, the governance structures need to approach it as a public health problem. It is a disease that

needs to be tackled through rehabilitation instead of revenge. Instead of a compulsory imprisonment for the possession of small amounts of drug as per NDPS

Act, a de-addiction treatment and rehabilitation strategy should be adopted by the Central Government. Any or all treatment gaps for drug users should be

plugged at the earliest. There is a need for district-level and other forms of decentralised service regularly to identify all at-risk districts and regions and evolve

a specific plan for them.

In the last five years, under the National Action Plan for Drug Demand Reduction, 2,85,559 persons have availed assistance in 2021-22 alone. While

we acknowledge the presence of schemes such as Nasha Mukt Bharat Abhiyaan in 272 districts, more needs to be done. As mentioned earlier, a psycho-

social approach towards this issue will help us to get rid of the issue. Sir, I want to take this opportunity to mention about Portugal. The Portugal Government

decriminalised drug related offences and, instead, started treating it as a public health issue. Since the inception of this strategy, the drug related offences have

come down from 14,000 to 6,000, attesting to its effectiveness.

One important aspect of the problem is the farming of ganja in the country. The farmers involved in the profession do so out of the need for

sustenance. In order to wean these farmers off weed, there needs to be a targeted strategy at providing alternative sources of income which will help to curb

the drug menace. So, I urge the Government to take necessary steps and on behalf of TDP, we stand with the Central Government to make India a drug-free

country. Thank you.

श्री विनायक भाउराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): सभापति महोदय, चर्चा के दौरान एक शिव सेना मेंबर का नाम लिया है। ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: If you want to raise a point of order, please quote the rule. You cannot speak like this.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: That cannot be allowed.

SHRI ARVIND SAWANT (MUMBAI SOUTH): Sir, while participating in the discussion, an hon. Member took the name of a Shiv Sena

leader. So, my point of order is that he is not supposed to quote the name of a person who is not present here.

HON. CHAIRPERSON: Definitely, it will be expunged.

about:blank 15/26

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला): चेयरमैन सर, मैं इस महान सदन के माध्यम से आदरणीय गृह मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में इग एब्यूज के प्रति जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का अनुसरण करते हुए हमने मादक पदार्थों की आपूर्ति में कमी संबंधी पहल की है, जिसके अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में 32 हजार 182 एकड़ अफीम की अवैध खेती और 80 हजार 234 एकड़ भांग की अवैध खेती को नष्ट किया गया है। पिछले 3 वर्षों में एनडीपीएस अधिनियम से संबंधित 1 लाख 80 हजार 770 मामले दर्ज किए गए हैं और 2 लाख 41 हजार 188 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

मादक पदार्थों के निपटान के लिए विशेष अभियान 26 जून, 2022 को शुरू किया गया था और आज तक 1 लाख 65 हजार 500 किलोग्राम मादक पदार्थों को नष्ट कर दिया गया है। हम एक तरफ इस पॉलिसी पर चल रहे हैं और दूसरी ओर सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय को नशामुक्ति अभियान के लिए भारत सरकार ने नोडल एजेंसी बनाया है। मुझे याद है, जब मैं सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय में एमओएस के रूप में काम कर रहा था, हमने 15 अगस्त, 2020 को 272 जिलों में नशामुक्ति अभियान को हरी झंडी दी थी। अब यह मंत्रालय दिन-रात इस पर काम कर रहा है और ढाई करोड़ से ज्यादा लोगों तक मंत्रालय ने अपनी पहुंच बनाई है। मिनिस्ट्र ऑफ हैल्थ के साथ एमओयू साइन हुए हैं। भारत सरकार ने होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री और दो मिनिस्ट्रीज के साथ मिलकर ड्रग एब्यूज की बुराई को खत्म करने की प्रतिज्ञा ली है, इस पर अब काम हो रहा है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ऑर्गेनाइज क्राइम्स, ह्यूमेन ट्रेफिकिंग, मनी लॉड्रिंग और नशे के कारोबार पर भी कृठाराघात कर रही है।

महोदय, पहले शासकों के शासनकाल में सेलिब्रिटी ऐसे गीत युवा पीढ़ी को भ्रमित करने के लिए गाते थे 'दम मारो दम, मिट जाए गम' लेकिन आज के सेलिब्रिटीज़ को हमने इस प्रकार के स्लोगन बोलने के लिए कहा है – 'एक युद्ध, नशे के विरुद्ध' और इस पर हमारी सरकार काम कर रही है। इंटरनेशनल लैवल पर जितनी भी कन्वेंशन्स नशामुक्ति को लेकर हुई हैं, चाहे वर्ष 1909 में नार्कोटिक ड्रम्स का मामला हो या शंघाई डिक्लेरेशन हो, ... (व्यवधान) वर्ष 1912 में हेग इंटरनेशनल कांफ्रेंस नशामुक्ति को लेकर हुई थी। मिनिस्ट्री आफ वैलफेयर ने वर्ष 1925 में जेनेवा में कन्वेंशन की थी। वर्ष 1931 में बैंकांक में नशे के विरुद्ध कन्वेंशन्स में जो बातें अपनाई गई, आज उसके अंतर्गत भारत इस ब्राई को समाप्त करने पर काम कर रहा है।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI RAJMOHAN UNNITHAN (KASARAGOD): Hon. Chairman, Sir, I am thankful to you for allowing me to speak on a very important Discussion under Rule 193.

'Quitting smoking is easy - I have done it a hundred times", said Mark Twain, an American novelist.

Drug abuse like smoking is very uneasy to escape once you fall prey to it. The suicide of Sushant Singh Rajput, a talented and rising star in the Hindi Film Industry two years back, had been attributed to drug abuse. It shows how terribly the drug abuse has infected our society from street children to Bollywood superstars.

The incidence of drug abuse among children and adolescents is higher than the general population. This is notably because youth is a time for experimentation and identity-forming. Many street children use cheap drugs to cope with the daily cycles of sexual, physical and mental abuse or as recreation to escape a life of poverty.

Drugs like heroin, opium, alcohol, and cannabis are the most common drugs being abused by children in India. Children affected by substance abuse are considered as children in need of care and protection under the Juvenile Justice Act, 2015.

Around 13 per cent of the people involved in drug and substance abuse in India are below 20 years, which calls for further stepping up of community intervention and preventive mechanisms targeting adolescents, according to the United Nations Office on Drugs and Crime.

There is a steep increase in the use of drugs among children and a drastic increase in crime rates relating to drugs in Kerala. Lack of trained public healthcare officials to work with children, child treatment and child care protocols were grave issues in the State. A lot of MDMA and LSD are being used and these new substances are being promoted among the youth as 'recreational drugs'.

Article 47 of the Indian Constitution imposes an obligation on the State to endeavour to bring about prohibition of the consumption of intoxicating drinks and drugs which are injurious to health. Hence, I submit that sensitization to prevent drug abuse must be included in school and college syllabus. The Narcotic and Psychotropic Substances Act must be amended to give stringent punishment including life imprisonment or capital punishment to the drug peddlers. Preventive detention of drug peddlers may be stipulated under the Act. The de-addiction of child and adolescent drug-addicts must be given topmost priority. A separate department to combat drug menace may be constituted under the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. The NDPS Act should be Amended. Certain provisions of NDPS Act are being misused by the drug mafia. The practice of smuggling drugs in small quantities is followed

by mafia because if they are caught, the punishment is very small and thereafter they are repeating the same crime. Therefore, Kerala's long-term demand to amend the schedule of NDPS Act to reduce the "small quantity and medium quantity" slabs need urgent action from the Government of India.

Thank you, Sir.

श्री जुगल किशोर शर्मा (जम्मू): सभापित महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस अहम और गंभीर मुद्दे पर अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं अध्यक्ष जी का भी आभार प्रकट करता हूं, बल्कि मैं सारे सदन की ओर से भी उनका आभारी हूं, क्योंकि उन्होंने नशीली दवाओं के दुरुपयोग के विषय पर आज सदन में चर्चा करवाने का जो निर्णय लिया है, वह ऐतिहासिक है और यह पहली बार ऐसा हो रहा है। महोदय, आज पूरी दुनिया के साथ-साथ पूरे भारत में भी नशीली दवाओं का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन विशेष तौर पर सीमावर्ती क्षेत्रों में इसका ज्यादा प्रचलन हो रहा है। पंजाब हो या जम्मू-कश्मीर, मैं कहूंगा कि पाकिस्तान का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। इसकी आमदनी से जो पैसा आता है, उस पैसे का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए होता है। पिछले कई सालों से ऐसे कई मामले सामने आए हैं। हम सब इससे अवगत हैं। इसके साथ-साथ इन नशीली दवाओं के द्वारा हमारे नौजवानों के भविष्य को अंधकार में धकेलने का भी काम किया जा रहा है। महोदय, जिस घर का बच्चा ड्रग नशे का आदी हो जाता है, वह घर तबाह हो जाता है और टेंशन में आ जाता है। नशे का आदि नौजवान चाहता है कि वह उसे छोड़ दे, लेकिन जब एक बार उसे आदत पड़ जाती है, तो फिर वह उसको छोड़ना भी चाहे तो छोड़ नहीं सकता। इसलिए, नशे के आदि नौजवानों और बच्चों की सहायता के लिए प्रदेश की सरकारों को और कड़े कदम उठाने होंगे। जहां तक कैप्सूल, पीने वाली दवाइयां और दुसरी दवाइयां हैं, उनकी खेप की खेप आ जाती हैं। सप्लाई करने वाले पकड़े जाते हैं, परन्तु दोबारा वही लोग वही काम करते हैं। इसलिए, कानून को भी सख्त करने की जरुरत है।

महोदय, केंद्र सरकार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने हेतु कई बड़े कदम उठाए हैं। उसके तहत कई एफआईआर दर्ज की गई हैं और बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ भी जब्त किए गए हैं।

बहुत सारे केसों में सजाएं भी दी जा रही हैं। यह दर्शाता है कि केन्द्र सरकार इन मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने हेतु कितनी गंभीरता के साथ काम कर रही है। महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पुनर्वास केन्द्र खोले जाने चाहिए और खोले भी गए हैं। इन पुनर्वास केन्द्रों में उन बच्चों को वे सारी सुविधाएं दी जानी चाहिए, जो घरों में मिलती हैं। जैसे टेलीविजन है, खेलने की व्यवस्था और बाकी मनोरंजन के साधन हैं, तािक वहां पर उनका मन लगा रहे और वे अपनी आदतों को छोड़ पाएं। अन्यथा यह होता है कि वे पुनर्वास केन्द्रों में जाते तो हैं, लेकिन फिर वे भागने का भी प्रयास करते हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि हम सबका यह दाियत्व बनता है कि हम सभी नशीली दवाओं के सेवन के विरुद्ध युद्धस्तर पर अभियान चलाएं और नशीली दवाओं के आदि बच्चों को बचाने का काम करें।

महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Sir, I need to put this on record. I was listening to all the speakers who spoke before me. There were very strong words that have been expressed. Nowadays, a lot of Chief Ministers are going in for elections by claiming that their Government will give free electricity and all those things. But I believe, 10 years down the line, a Chief Minister will definitely go in for elections only on the issue of war on drugs. Definitely, that is going to happen with the rise in the drug abuse cases, and at the same time, keeping in view the words that have been expressed here. But I want everyone to keep in mind how the war on drugs is happening in various countries before going in an aggressive fashion. Take for example, Philippines that has been doing this war on drugs for the last five to six years wherein a lot of killings are taking place but no solution has been found. They went very aggressive against the drugs but the results are not to be seen on the ground. Same is the case in USA. They have been doing war on drugs for the last 40 years. If you see the figures, they have only focussed on criminal punishment and prison sentencing which was their way forward for the last 40 years. But if you look at the figures from 1990 to 2010, in thirty years, the deaths caused due to overdose of drugs increased from 10,000 to 40,000. Even the number of arrests from 1980 to 2020 has gone from 15,000 to 15 lakh. It has increased to almost 100 times. So, please keep this in mind when you have strong words to say about criminal punishment, prison sentencing, etc. Sir, my colleague has just mentioned that about 60,000 cases have been reported under the NCRB. Even in India, the prison sentencing and criminal punishment are not being carried out. So, on the way forward, what I would suggest is this. Take the case of Chicago. They have started the Narcotics Arrest Diversion Programme which involves the Police and also other departments related to public health, behavioural health, crime labs, and health labs. People who get arrested for drug possession are eligible to attend this programme. They have carried out this programme involving almost 1100 people. The success rate is amazing. So, I would request the Ministry concerned to consider this. Now, I come to some of the suggestions. There is a lack of availability of de-addiction and rehabilitation centres across the country. In Andhra Pradesh, our hon. CM, Shri YS Jagan Mohan Reddy Garu has inaugurated 15 de-addiction centres by allocating a sum of Rs. 5 crore. So, I request that more such provisions should be made in the country. At the same time, there is a poor budget utilisation. For NAPDDR, about Rs. 200 crore was sanctioned but only Rs. 40 crore have been utilised till now.

So, I would request the Government to use that money which has been actually budgeted. ... (Interruptions)

Sir, with regard to NDPS Act, I would say that it is very stringent. The burden of proof is entirely on the accused. So, you are guilty until you are proven innocent. But the country does not have a law on the grant of compensation for this malicious arrest. The Law Commission of India has already suggested for it. So, I would request the Treasury Benches to actually come up with this law so that compensation is given to the people who are unlawfully arrested. ... (Interruptions)

HON, CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU: Sir, I will conclude in half a minute.

Even, we have seen the cases where the celebrities get arrested and are kept in jail for so long. Look at the poor person who goes to jail for such a long time. So, compensation has to be given to those people.

Lastly, I would say that the Narcotics Control Bureau has been doing a fantastic thing but we request the Government to focus more on the issue of drugs which are coming in from the other countries. You see, what the Drug Enforcement Agency of America is doing. So, rather than actually trying to pull up a peddler or the user, let them concentrate on the issue of drugs that are coming into our country from outside. Thank you.

DR. AMAR SINGH (FATEHGARH SAHIB): Thank you, Chairman Sir. Many learned Hon. Members from Punjab and other States have already spoken on the issue of 'Drug Abuse' under Rule 193. So, I will not like to dwell at length on this issue.

Punjab is paying the price of being the border State. It shares its boundaries with Pakistan. Hon. Home Minister Shri Amit Shah ji is sitting here. Pak is pumping in drugs in large amount into Punjab. Our youth have become addicted and gone astray. The Central Government should look into this aspect of this problem.

Secondly, NDPC Act was framed in 1985. 37 years have passed. The biggest mistake is that we are not differentiating between manufacturer, supplier an user of drugs. A user is unfortunate. He may be under marital tension, unemployed, poor or there may be family or social tension. We are keeping all of them at the same pedestal. Majority of cases have been filed against personal use. Very less cases have been filed against manufacturers and distributors

So, I urge upon the Government to have a relook at the provisions of this law. We should revisit this law. International experiences tell us that decriminalization of drugs for personal use is needed. In reality, the drug-user needs a psychologist and social worker who can guide the user. He should be brought back into mainstream. He should not be put in jail.

Puniab needs special help from Central Government because States do not have financial resources. They do not have so much manpower etc.

Thank you, Sir.

13.57 hrs

(Hon. Speaker in the Chair)

माननीय अध्यक्ष : डॉ. राजदीप राय जी, आप अपनी बात एक-दो मिनट में पूरी कीजिए।

DR. RAJDEEP ROY (SILCHAR): Thank you, Mr. Speaker, Sir, for allowing me to speak on a very important topic under Rule 193.

I will try to avoid all those issues which have already been discussed in the House but it is very important to mention that, next to petroleum and arms' trade in the world, drugs control around 500-billion US dollar business. So, drug along with cross-border terrorism today has crossed two trillion USD which is almost four per cent of the GDP of the world. Therein lies the importance of drug trade in the world. I come from a constituency which has got borders with three different smaller States in the North Eastern India, which are havens to all drug addicts, drug users, and drug cartels. My constituency also has an international border with the neighbouring States. It falls at the crossroad of the Golden Crescent and the Golden Triangle. So, Assam, the State I come from, has taken a very unique step in the last one-and-a-half years to control drug businesses and arrest those persons involved in this. Almost 4,000 plus people

about:blank 18/26

have been arrested in the last few years. Being a doctor, I have seen the other side of the drug users, and how the families and the individuals being destroyed. Today, it is very important to mention here about what our Government has done. Amongst the five or six crore drug addicts in our country today, there are also 8.5 lakh IV injectors who are drug addicts. So, to control all this, a very humanitarian approach needs to be taken, and our Government has done exactly this. Now, what is the way forward? ... (Interruptions) Sir, please give me one more minute. The police in Assam, under the leadership of Dr. Himanta Biswa Sarma, has worked on three verticals.

14.00 hrs

These three verticals are – decrease the demand for drugs, decrease the supply for drugs, and decrease the ailments which are related to drugs.

HON. SPEAKER: Shri Rajdeep ji, please conclude.

DR. RAJDEEP ROY: Sir, I will conclude in just one minute.....(Interruptions) Sir, the Government of India under Shri Narendra Modi ji and Amit Shah ji has, one, taken a few steps to stop the temping down of cross border trafficking; two, imposing harsher penalties under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act.(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : सिर्फ श्री श्रीनिवास पाटिल जी की बात ही रिकॉर्ड में जाएगी।

... (व्यवधान)...

14.00 hrs

श्रीनिवास दादासाहेब पाटिल (सतारा): सर, मैं आपका आभारी हूं कि आदरणीय गृह मंत्री जी के सामने मुझे अपनी बात कहने का मौका मिला। मैं पुणे का डिस्ट्रिक्ट मिजस्ट्रेट था, तब दो नशा मुक्ति केन्द्र – मुक्तांगण और ओशो आश्रम वहां थे। जिन बच्चों को, जिन लोगों को यह तकलीफ होती है, जो एडिक्ट होते हैं, उनका एडिक्शन छुड़ाने के लिए जो प्रयास चल रहे थे, उनको देखने की जरूरत है, क्योंकि यह प्रिवेंटिव भी है, रेमेडियल भी है और उनके रिहैबिलिटेशन की बात होनी चाहिए। माननीय गृह मंत्री जी ने अगर यह सोचा और इन नशा मुक्ति केन्द्रों की अगर रचना की जाए, जहां हिल स्टेशन्स हैं, जहां वन हैं, जहां मंदिर परिसर हैं, वहां लोगों को शिक्षा देने और कुछ अच्छी बातें बताने के बाद अगर उनकी मुक्ति होती है तो ऐसे नशा मुक्ति केन्द्र बनाने के लिए अगर प्रयास होंगे तो अच्छी बात होगी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभारी हं।

गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह): माननीय अध्यक्ष जी, कल से सदन एक गंभीर समस्या पर चर्चा कर रहा है। पक्ष और विपक्ष के कुल मिलाकर 53 सदस्यों ने इस विषय पर अपने विचार, सुझाव और कुछ अवलोकन भी रखे हैं। कुछ जानकारियां भी दी हैं और कुछ ग्रीवेसेंज भी रखे हैं। मैंने कल रात को और आज सुबह सारी चीजों को ध्यान से देखा है। मैं सबसे पहले सदन की हरिसमरत बहन से शुरू करके पाटिल साहब तक, जिन 53 सदस्यों ने अपने मूल्यवान विचार रखे हैं, उनको सरकार की ओर से और समाज की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस विषय को राजनीति रंग देने की जगह, इस विषय को एक समस्या होने के नाते सदन ने बहुत गंभीरता से लिया है। हम सब लोग राजनीतिक लोग हैं, अलग-अलग राजनीतिक दलों से आते हैं, सत्ता में हैं, विपक्ष में हैं, तो थोड़ा-बहुत तड़का लगता है राजनीति का, परन्तु अगर चर्चा के तारतम्य को निकालें तो यहां के हों या वहां के, सभी सदस्यों ने इस बात को स्वीकारा है कि यह गंभीर समस्या है। हमारी नस्लों को बर्बाद करने वाली समस्या है और आगे जाकर इसके कारोबार से जो मुनाफा होता है, वह आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए उपयोग में आता है। इसके गंभीर प्रकार के साक्ष्य और सूचनाएं भी तंत्र के पास उपलब्ध हुई हैं। मैं सबसे पहले देश का गृह मंत्री होने के नाते नरेन्द्र मोदी सरकार का संकल्प इस गृह के अंदर दोहराना चाहता हूं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में मोदी जी ने नशा मुक्त भारत का संकल्प समग्र देश के सामने रखा है। जब से यह सरकार बनी, तब से गंभीरतापूर्वक इस दिशा में ढेर सारी कार्रवाइयां भी हुई हैं। मैं सदन को फिर से एक बार आश्रस्त करना चाहता हूं कि नरेन्द्र मोदी सरकार की ड्रम्स के कारोबार पर और उसके मुनाफे से आतंकवाद के वित्त पोषण पर जीरो टॉलरेंस की नीति है और हम सख्ती से इसको जीरो तक ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

मान्यवर, ड्रग का प्रचार-प्रसार न केवल हमारी आने वाली नस्लों को खोखला करता है, बिल्क लाखों-लाखों परिवारों को बर्बाद करता है और कई प्रकार के कानून और व्यवस्था से जुड़े हुए सामाजिक दूषण भी इससे खड़े होते हैं। मैंने कहा है कि आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए इसके मुनाफे का, जो देश भारत में आतंकवाद को बढ़ाना चाहते हैं, समर्थन देना चाहते हैं, वे इसका उपयोग करते हैं। देश के अर्थतंत्र के अंदर इस डर्टी मनी की प्रेजेंस देश के अर्थतंत्र को भी खोखला करती है। इसलिए नरेन्द्र मोदी जी ने, देश के सम्माननीय प्रधान मंत्री जी ने नशा मुक्त भारत का लक्ष्य गृह विभाग के सामने रखा है। मैं निश्चित रूप से इस सदन को आश्वासन देना चाहता हूं, आश्वस्त करना चाहता हूं कि लक्ष्य की परिपूर्ति के लिए हमारी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।

मान्यवर, यह लड़ाई न केन्द्र की है, न राज्य की है और न किसी एक विभाग की है। केन्द्र सरकार, सभी राज्य सरकारें और केन्द्र शासित प्रदेशों को मिलकर यह लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर इसका परिणाम लाना है तो बहुआयामी लड़ाई लड़े बगैर यह परिणाम नहीं आ सकता है। बॉर्डर्स से भी ड़ग की एंट्री को रोकना पड़ेगा, एयरपोर्ट्स और बंदरगाहों से भी डुग की एंट्री को रोकना

पडेगा।

रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी सतर्कता के साथ जो in toto योजना बनी है, इसका एक हिस्सा बनकर, अग्रेसिव्ली काम करना पड़ेगा। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और राज्य की एंटी नार्कोटिक्स सारी एजेंसियों को भी एक पेज पर रहकर काम करना पड़ेगा। इसके साथ-साथ पुनर्वासन और व्यसन मुक्ति के लिए समाज कल्याण विभाग और हेल्थ डिपार्टमेंट को भी साथ में रहना पड़ेगा। इसके सभी आयामों को अगर हम एड्रेस करते हैं और सभी आयामों को इस लड़ाई के अंदर एक समान तीव्रता से जोड़ते हैं, तभी जाकर हमारा ड्रग फ्री इण्डिया का स्वप्न साकार हो सकता है।

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यह लड़ाई केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को मिलकर लड़नी है। हमारे संघीय ढांचे में राज्य सरकारें कई सारी पार्टियों की होती हैं और कई बार केन्द्र में भी मिली जुली सरकारें आती हैं, परंतु आज मैं यह बात सदन के सामने स्वीकार करना चाहता हूं कि जहां तक ड्रग के खिलाफ लड़ाई का सवाल है, देश की सभी राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार के साथ कंघे से कंघा मिलाकर इस लड़ाई को गम्भीरता के साथ लड़ा है। जो भी योजनाएं गईं, जो भी सूचनाएं गईं, उनका irrespective of party politics and irrespective of party in power, सभी राज्यों ने बहुत अच्छे ढंग से अमल भी किया है। इसलिए कम से कम यह एक मुद्दा ऐसा है, जिसमें राज्य की जियोग्राफिकल सिचुएशन और आर्थिक व्यापार करने की पद्धित को लेकर तरीकों में बदलाव हो सकता है, परंतु इसमें कोई मतभेद नहीं है, सब एक पेज पर हैं।

मान्यवर, जहां तक बॉर्डर के राज्य हैं, तो कल सभी बॉर्डर राज्यों के माननीय सदस्यों ने गंभीरता से यह विषय रखा है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बॉर्डर से ट्रेड का सवाल है, तो पाकिस्तान के साथ अभी हमारा कोई ट्रेड बॉर्डर से नहीं होता है। इससे ड्रग आने का सवाल नहीं है। परन्तु, इससे हमारी दिक्कतें समाप्त नहीं होती हैं। ड्रग ड्रोन से आता है और तस्करी से आता है। वे सुरंगें बना कर ड्रग भेज देते हैं। ड्रग बंदरगाहों और एयरपोर्ट्स के माध्यम से आता है। व्यापार बंद करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। जहां-जहां पर वे लोग नए तरीके ढूंढते हैं, वहां-वहां हमें उनको समाप्त करना पड़ेगा।

मान्यवर, बहुत सारे माननीय सदस्यों का सुझाव आया है।...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): मंत्री जी, वह म्यांमार से भी आता है।

श्री अमित शाह : वह हो गया है। मेरा पूरा भाषण समाप्त होने के बाद आप कुछ कह सकते हैं।

मान्यवर, जहां कानून का सवाल है, तो ढेर सारे लोगों ने कहा है। दादा ने कहा है कि इसमें फांसी की सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। किसी ने कहा कि इसको कठोर बनाना चाहिए। मैं भारत सरकार की नीति को बहुत स्पष्टता से इस सदन के माध्यम से देश की जनता के सामने रखना चाहता हूं।...(व्यवधान) दादा, आपको भाषण करना है, तो मैं बैठ जाता हूं। आप 10 मिनट बोलिए। इतने सीनियर माननीय सांसद होकर बीच में टोका-टोकी करना, न आपकी उम्र के लिए अच्छा है और न ही आपकी सीनियरिटी के लिए अच्छा है।...(व्यवधान) मैं बैठ जाता हूं। आप 10 मिनट भाषण करिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्री जी।

श्री अमित शाह : हर बार ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको विषय की गंभीरता को समझना चाहिए।...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: आप इतना क्रोधित क्यों होते हैं?

श्री अमित शाह: मैं क्रोधित नहीं होता हूं, समझाता हूं। कई बार बड़ों को भी समझाना पड़ता है।...(व्यवधान) जहां तक कानून का सवाल है, मैं इस सरकार की नीति को बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। जो ड्रग का सेवन करते हैं, वे विक्टिम्स हैं। उनके प्रति सहानुभूति का रवैया होना चाहिए और पुनर्वसन की तैयारी, पुनर्वसन का कानूनी प्रावधान हो। परन्तु, जो ड्रग का व्यापार करते हैं, इसकी तरकरी करते हैं, इसकी नीचे तक पहुंचाते हैं, वे चाहे छोटा हो या बड़ा, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। उनको कानून के शिकंजे के अंदर लाना चाहिए। अगर हम यह भेद नहीं करते हैं, तो कभी-कभार हम विक्टिम के साथ ही दुर्व्यवहार करेंगे। जो बच्चे इसमें फंस गए हैं, जो युवा इसमें फंस गए हैं, उनको वापिस आने के लिए और समाज इनको फिर से स्वीकार कर ले, इस प्रकार का सामाजिक माहौल बनाने की भी जिम्मेदारी हम सभी सदस्यों की है, यह सरकार की तो है ही। जैसे पाटिल साहब ने कहा है कि व्यसन मुक्ति केन्द्रों और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स से लेकर सारी चीजें बहुत बनाई गई हैं। अभी मैं उनके बारे में बताऊंगा। परन्तु, हमें एक सामाजिक वातावरण भी तैयार करना पड़ेगा कि जिसने ड्रग ले लिया, वह खराब है, ऐसा नहीं है। इसको फिर से समाज के अंदर सम्मान के साथ पुन:प्रस्थापित करने के लिए, एक सामाजिक बनाने के लिए भी सभी माननीय सांसदों को साथ मिलकर प्रयास करना पड़ेगा।

मान्यवर, जहां तक ड्रग के कारोबार पर सख्ती का सवाल है, भारत सरकार ने विगत तीन सालों से ढेर सारी व्यवस्थाएं की हैं। हमने सबसे बड़ा बदलाव किया है, जैसे मैंने गृह मंत्रियों के सम्मेलन में भी आग्रह किया था। मैंने इसके बाद सभी गृह मंत्रियों और डीजीपी के साथ वीडियो कॉफ्रेंस करके भी कहा था। किसी भी इनवेस्टिगेशन को हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं। हम ड्रग की किसी भी जब्ती को आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं। अगर एक जगह ड्रग की छोटी-सी पुड़िया भी मिलती है, तो यह ड्रग कहां से आई, उस इनवेस्टिगेशन को सरहद तक ले जाना पड़ेगा, तभी जा कर पूरा नेटवर्क ध्वस्त होगा।

अगर किसी बंदरगाह या एयरपोर्ट पर ड्रम्स पकड़ी गयी, तो वह छोटी-से-छोटी पान की दुकान पर कैसे जाना था, हम इसके पूरे नेटवर्क की जाँच करते हैं, तभी जाकर इस समस्या का समाधान होगा।

about:blank 20/26

मैंने सभी राज्यों के गृह मंत्रियों से भी यह कहा है, क्योंकि उसमें राज्यों की भी सीमाएं आती हैं, कई बार अंतरदेशीय सीमाएं और अंतरराज्यीय सीमाएं भी आती हैं, सीमा के पार भी इसका इनवेस्टिगेशन करना पड़ता है। उसके लिए एनसीबी और एनआईए दो ऐसी एजेंसियाँ हैं, एनसीबी पूरे देश भर में जाँच कर सकती है और एनआईए विदेश में जाकर भी जाँच कर सकती है। इसीलिए जब हम एनआईए का कानुन लेकर आए तब हमने उसमें ड्रग के कारोबार को डाल दिया था।

मान्यवर, मैंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से विनती की थी कि यदि आपके राज्य में कोई ऐसा केस है, जिसके टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप तक इनवेस्टिगेशन करते वक्त राज्य की सीमाएं लांघनी पड़ती हैं, तो आप नि:संकोच एनसीबी की मदद ले सकते हैं। एनसीबी हरेक राज्य की मदद करने के लिए तैयार है और कटिबद्ध है। अगर वह इनवेस्टिगेशन देश की सरहदों के बाहर जाता है, तो आप उसके लिए एनआईए की भी मदद ले सकते हैं। एनआईए आपकी मदद करने के लिए तत्पर है।

मान्यवर, मुझे आनन्द है कि राज्यों ने लगभग 31 इनवेस्टिगेशंस एनसीबी या एनआईए को दिए हैं और पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए तीनों एजेंसीज, यानी राज्यों की एजेंसियाँ, एनसीबी और एनआईए सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही हैं। इसके बहुत अच्छे परिणाम भी हमें मिले हैं। राज्यों के सहयोग से केन्द्र की नारकोटिक्स के सामने लड़ने की गित भी दोगुनी हुई है और उत्साह भी दोगुना हुआ है। मान्यवर, एनसीबी और एनआईए को जो केसेज सौंपे गए, उन केसेज को हमने राज्यों की एजेंसियों को भी साथ में रखकर इनवेस्टिगेट किया है। अभी गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट का भी उल्लेख किया गया था। मैं थोड़ा-सा एप्रोच बदलने की कोशिश करता हूँ। गोल्डन ट्रायंगल, जिसमें दक्षिण-पूर्व एशिया के देश हैं और गोल्डन क्रिसेंट में ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान हैं। ड्रम्स के व्यापारियों ने इसे गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट नाम दिया है। मैं बैठक में इनके लिए जब भी शब्द प्रयोग करता हूँ, तो 'डेथ ट्रायंगल' और 'डेथ क्रिसेंट' शब्दों का ही प्रयोग करता हूँ। मौत का व्यापार करने वालों के लिए, नशे के कारोबारियों के लिए हो सकता है कि वह गोल्डन ट्रायंगल हो, लेकिन हमारे लिए नहीं होना चाहिए। हमारी एप्रोच में बदलाव समग्र दुनिया के सामने एक बहुत बढ़ा सन्देश भेजेगा। मान्यवर, नारकोटिक्स के खिलाफ भारत सरकार के गृह विभाग और वित्त विभाग ने लड़ाई छेड़ी है और इसमें समाज कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभाग हमारी मदद कर रहे हैं। हमने इसमें जीरो टॉलरेंस की नीति अपनायी है। हमने इसके तीन हिस्से रखे हैं। संस्थागत संरचना की मज़बूती के लिए जो इंस्टिट्यूशंस हैं, उनको स्टॉन्च करने, जवाबदेह बनाने और सतत मॉनिटरिंग से उसको एलर्ट रखना, सभी नाकों एजेंसीज का काम है। इसमें स्टेट्स की नाकों एजेंसीज भी आती हैं और केन्द्र सरकार के भी सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं। उनका सशक्तिकरण और समन्वय, उनको एम्पावर करना, और सभी के बीच में को-ऑडिनेशन बढ़ाने के साथ ही, जागरकता और पुनर्वसन के लिए एक विस्तृत अभियान हाथ में लेने की जरूरत है। गृह विभाग ने इन तीन विभागों में इससे लड़ाई के लिए संरचना की है, क्योंकि यह एक सीमा-रहित अपराध है। इस अपराध की कोई सीमा ही नहीं है। कहीं से भी बैठकर कोई भी इसका व्यापार कर रहा है और हमारी चरके सभी डिपार्टमेंटर को लाव है। हो सार सिकारों के सिपार्टमेंटर को सरकारों हो यह कित पहार्ट है। यह कित सिपार्टमेंटर

मान्यवर, हमने जो प्रमुख इनीशिएटिव्स लिए हैं, इनमें संस्थागत संरचना की मजबूती के लिए मैं बात करना चाहूंगा। वर्ष 2019 में हमने चार स्तरीय NCORD की स्थापना की है। एक शीर्ष स्तरीय NCORD है। इसके बाद एग्जिक्यूटिव – कार्यकारी स्तर पर NCORD समिति है। उसके बाद राज्य स्तरीय NCORD समिति बनी है और उसके बाद जिला स्तरीय NCORD समिति बनी है।

जिलों से लेकर केन्द्र तक इन NCORD समितियों के माध्यम से एक समन्वय स्थापित किया गया है। केन्द्र में भी नीति निर्धारण करने वाले लोग और एग्जिक्यूशन करने वाले लोग, इसके लिए भी शीर्ष स्तरीय कमेटी और कार्यकारी समिति, इस प्रकार के दो हिस्से हमने किए हैं। अभी तीसरी शीर्ष स्तरीय NCORD कमेटी की बैठक हुई थी। मैंने ही उसकी अध्यक्षता की थी और हमने ढ़ेर सारे फैसले लेकर नीचे, राज्यों को पहुंचाए हैं। अब वे जिले तक पर्कोलेट हो रहे हैं।

इस स्तर पर मैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी इस सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। ढ़ेर सारे राज्यों ने, लगभग शत प्रतिशत राज्यों ने राज्य स्तरीय NCORD समिति बना ली है। इनकी मीटिंग्स भी होती हैं और इनके मिनट्स भी आते हैं। वहां केंद्रीय एजेंसियों के प्रतिनिधियों को बैठाते भी हैं और चर्चा भी करते हैं। परंतु सबसे महत्वपूर्ण विषय जिला स्तरीय संरचना का है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जब तक डीसीपी, कलेक्टर, समाज कल्याण अधिकारी और हैल्थ डिपार्टमेंट के बंदे इकट्ठे बैठकर जिला स्तर पर इस पर मीमांसा नहीं करेंगे, तब तक हमारी यह लड़ाई सफल नहीं होने वाली है।

आज तक हम डेढ़ साल से प्रयास कर रहे हैं, 32 प्रतिशत जिलों में ही समिति बनी है। इस सदन के माध्यम से मैं देश भर के सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को और केन्द्र शासित प्रदेशों की सभी सरकारों, एलजी और एडिमिनिस्ट्रेटर्स से निवेदन करना चाहता हूं कि आप स्वयं व्यक्तिगत स्तर पर इन्ट्रेस्ट लेकर अपने-अपने राज्य में जिला स्तरीय NCORD समिति की रचना करें। जिस दिन देश के सभी के सभी जिलों में जिला स्तरीय NCORD समिति बन जाएगी और राज्य स्तरीय NCORD समिति को उसका फीडबैक मिलेगा, तब हमारी यह लड़ाई बहुत मजबूत हो जाएगी। ... (व्यवधान)

मान्यवर, नोडल एजेंसी के तौर पर हमने एनसीबी को इसमें रखा है। इसके तहत भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक दल, ड्रग कंट्रोलर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, नेशनल मेरीटाइम सिक्योरिटी, एनटीआरओ, पोर्ट ट्रस्ट, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कोस्टल पुलिस और राज्य की नार्को एजेंसी सब मिलकर कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। मान्यवर, इसके लिए हमने एक NCORD पोर्टल भी बनाया है, जो एनसीबी चलाती है। NCORD पोर्टल का काम डेटा इंटीग्रेशन का है। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के रूप से NCORD पोर्टल बन गया है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। राज्य स्तर के, NCORD तंत्र के भी सभी चार राज्य स्तरीय हितधारक इसके मेंबर हैं। मान्यवर, बहुत सारी एजेंसियों के तालमेल को इस NCORD पोर्टल के माध्यम से सुचारू रूप से हमने नीचे तक पहुंचाया है। पोर्टल बने हए दो साल हो गए हैं। दो सालों में हमने बहुत अच्छे परिणाम, बड़ी-बड़ी जब्तियां इस पोर्टल के माध्यम से की हैं। पोर्टल पर ढ़ेर सारी जानकारियों को भी डाला है।

about:blank 21/26

अधिकृत एजेंसियों के सारे नंबर्स डाले गए हैं, समस्त जानकारियां डाली हैं, भारत सरकार के किए हुए सारे एमओयू डाले हैं। द्विपक्षीय समझौतों को डाला है, देश भर का जो प्रशिक्षण कैलेंडर है, लॉयर्स का प्रशिक्षण कैलेंडर, इन्वेस्टिगेटर्स का प्रशिक्षण कैलेंडर और पुनर्वसन का काम करने वाले सोशल वेलफेयर के अधिकारियों के प्रशिक्षण कैलेंडर को भी डाला है। कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स, जो प्रो-प्रॉसिक्युशन हैं, उनको भी वहां डाला है।

अध्यक्ष जी, एनसीबी की हैंडबुक की एनुअल रिपोर्ट भी वहां डाल दी जाती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वह भी इसमें डाली है। मीटिंग्स के मिनिट्स भी 24 घंटे में अपलोड कर दिए जाते हैं और एटीआर को भी अपलोड करते हैं। एक प्रकार से सम्पूर्ण सूचनाएं एक ही जगह से जिला स्तर और पुलिस स्टेशन स्तर पर अधिकारियों को उपलब्ध हो जाएं, इस प्रकार की प्रणाली हम लेकर आए हैं और उसे एक ही छत्र के नीचे चलाकर राज्यों और पुलिस स्टेशनों तक की सभी चीजों को हमने कोओर्डिनेट किया है।

मान्यवर, इंटरपोल की जनरल असेम्बली हमारे देश में हुई। उसमें नाकोंटिक्स और टेरर लिंक्स का विषय मैंने उठाया था। वहां भारत की ओर से आग्रह किया गया कि इंटरपोल, नाकोंटिक्स और टेरोरिज्म तथा नाकों के व्यापार से टेरोरिज्म का वित्त पोषण, इन तीन विषयों पर रियल टाइम इंफोमेंशन शेयरिंग के लिए सभी देशों के लिए एक प्लेटफार्म बनाया जाए, तो सभी देश इससे आगे बढ़ सकते हैं और बेस्ट प्रेक्टिसेस साझा भी हो सकता है। यहीं पर अभी-अभी 'नो मनी फॉर टेरर' विषय पर सारे राज्यों के गृह मंत्रियों का सम्मेलन हुआ। उसमें भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए, नाकोंटिक्स की लड़ाई के लिए बहुत थ्रस्ट दिया गया। हमने एक संयुक्त समन्वय समिति भी बनाई है और केंद्रीय स्तर पर इसकी बहुत सारी बैठकें भी की हैं। एनसीबी के कैडर को भी पुनर्गठित किया है। 419 पदों का सृजन किया है और इनमें विरष्ठ अधिकारी ज्यादा हैं क्योंकि राज्यों को असिस्ट करना है। इसे हमने आगे बढ़ाने का इनिशिएटिव लिया है। नाकों अपराधियों पर राष्ट्रीय एकीकृत डेटा बेस, जिसकी शार्ट फार्म 'निदान' है, उसे भी तैयार किया है और हर केस का चालान और हर केस के जजमेंट को इस पर अपलोड करके प्रोसीक्यूशन के वकीलों के लिए टिप्स भी इसमें अपलोड हैं। इसके साथ-साथ इंटर ऑपरेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) के लिए भी जब्ती सूचना प्रबंधन प्रणाली और जेल का डेटा, दोनों को हम साझा कर रहे हैं।

मान्यवर, ड्रग नेटवर्क के चार्ट को भी हमने मैपिंग कर लिया है और सभी राज्यों में ड्रग आने का कौन-सा रास्ता है और उसके नेटवर्क की क्या संभावनाएं हैं, उन्हें भी 372 जिलों में मैप करके हमने राज्यों को भेज दिया है। यह बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। दो साल तक भारत सरकार के सभी अधिकारियों ने 372 जिलों का मैपिंग किया है। सर्वे के आधार पर किया है, सूचनाओं के आधार पर किया है और जो जब्ती की गई, जो केस बनाए गए और जो सजाएं हुई हैं, उनकी इंटेरोगेशन्स की रिपोर्ट्स आई हैं, सभी को संकलित किया है। मैं सदन में बैठे सभी व्यक्तियों से कहना चाहता हं कि आप चिंता मत कीजिए।

कितना भी बड़ा अपराधी है, दो साल में स्थिति ऐसी आने वाली है कि उनकी जगह जेल की सलाखों के पीछे होगी। यह सुनकर यदि किसी को इसमें से वापस आ जाना है, तो अच्छी बात है. आ सकते हैं।

मान्यवर, एनडीपीएस के तहत हमने सीमा सुरक्षा बल, एसएसबी और असम राइफल्स, इन तीनों को ड्रग जब्ती करने के अधिकार दे दिए हैं, क्योंकि कहते हैं कि सीमा भारत सरकार की जिम्मेदारी है। सीमा पर निगरानी नहीं रखते हैं और वहां से ड्रग आ रही है। जब बीएसएफ को अधिकार देते हैं, तो कहते हैं कि राज्यों के अधिकार ले लिए हैं, तो बीएसएफ वहां क्या करेगी? आप बताएं कि बीएसएफ को अधिकार नहीं है, तो वह सीमा पर क्या करेगी? बीएसएफ कौन सी फॉरेन की एजेंसी है? हमारे देश के दुश्मन ड्रग्स भेज रहे हैं। बीएसएफ पकड़ेंगे और यदि उन्हें केस करने का अधिकार नहीं है, एसएसबी वाले पकड़ेंगे और यदि उन्हें जब्ती करने का अधिकार नहीं है, तो वे निहत्थे बैठ कर क्या करेंगे? जो लोग इसे पॉलिटिकल इश्यू बना रहे हैं, वे ड्रग्स के कारोबार का समर्थन कर रहे हैं। एजेंसियां निहत्थे रह कर काम नहीं कर सकती हैं। एजेंसियों को अधिकार देना पड़ेगा और मेरा स्पष्ट मानना है कि एजेंसियों को अधिकार देना चाहिए। हमारी एजेंसियों पर, देश की एजेंसियों पर देश की संसद को यदि भरोसा नहीं है, तो किस हिम्मत से वे काम करेंगी?

मान्यवर, इसी तरह से भारतीय तट रक्षक और राज्यों के जो सारे कोस्टल पुलिस स्टेशन्स हैं, उनको भी अधिकार दिया गया है। हमने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को भी अधिकार दिया है। आज यदि एनआईए को दुनिया भर में हमारे देश में ड्रग्स के कारोबार से जुड़ी हुई कोई भी इनवेस्टिगेशन करनी है, तो एनआईए को दुनिया भर के देशों में जाने हेतु इसी संसद ने सशक्त किया है, अधिकार दिया है और इम्पॉवर किया है।

मान्यवर, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के लिए भी हमने ढेर सारे एक्सपर्ट्स हायर किए हैं। वित्तीय दस्तावेजों के विश्लेषण और उनके कारणों को जानने के लिए ढेर सारे एक्सपर्ट्स की टीम भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने हायर की है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ऐसे कई सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं, जिनके आधार पर ही इसे पकड़ा जा सके। अभी जो जिक्र किया जा रहा था कि गुजरात के बंदरगाह से 3 हजार किलो नशा पकड़ा गया है, जो आज तक का सबसे बड़ा कैच है, वह कस्टम के सॉफ्टवेयर एनालिसिस के आधार पर ही पकड़ा गया है।

मान्यवर, अभी कुछ सदस्य बोल रहे थे, जिस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, बिल्क केवल दृष्टिकोण में बदलाव की विनती करना चाहता हूं। जिस राज्य में सबसे ज्यादा ड्रम्स पकड़ी गयी, उसका मतलब हम यह न निकालें कि उस राज्य में सबसे ज्यादा ड्रम्स का कारोबार है। इसका मतलब यह है कि वह राज्य सबसे ज्यादा काम करता है और पकड़ता है। अगर काम करें ही नहीं, तो ड्रम्स कहां से पकड़ा जाएगा? इस आधार पर तो पंजाब में ड्रग ही नहीं है। अगर पकड़ना नहीं है, तो आंकड़े अपने-आप ही अच्छे हो जाएंगे। क्या इस 'शुतुरमुर्ग नीति' से हम देश को बचा सकते हैं? ... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: अध्यक्ष महोदय, इतना ड्रग कहां से आता था, गृह मंत्री जी जरा यह भी बताएं और इसे कौन लाता था, यह भी बताएं ... (व्यवधान)

श्री अमित शाह: मान्यवर, कांग्रेस पार्टी के नेता यह कह रहे हैं कि ड्रग कहां से आ रहा था? ड्रग गल्फ कंट्रीज से आ रहा था और इसके मालिकों को पकड़ लिया गया है, फैक्ट्रीज सील कर दी गयी हैं, जिसके आधार पर देश के 12 राज्यों में रेड करके वहां कारोबार करने वालों को पकड़ लिया गया है। मान्यवर, दूसरी बात यह है कि आंकड़े अभी मेरे पास नहीं हैं। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे

about:blank 22/26

पुलिस इंस्पेक्टर की तरह इस सदन में जवाब देना पड़ेगा। मैं डिटेल लेकर नहीं आया हूं, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि चालान कर दिया गया है, जो ऑनलाइन उपलब्ध है। यदि सर्च करके नहीं मिलता है, तो आप मुझे बताएं, मैं भेज दूंगा।

मान्यवर, इसके अलावा संपत्तियों को जब्त करने के लिए भी हमने कार्य-पद्धित जिला स्तर पर सर्कुलेट कर दी है। मनी लाँड्रिंग की चैनलें, हवाला लेनदेन और डार्क नेट, इन तीनों के लिए हमने ढेर सारे बच्चों के टैलेंट को संग्रहीत करके एक बहुत सटीक रणनीति बनायी है, जिसे सार्वजिनक करना ठीक नहीं है। मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि इन सारे चैनलों का उपयोग करके यदि कोई मानता है कि वह एजेंसियों की नजर से बचकर चला जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ढेर सारे लोग पकड़े गए हैं और आगे भी पकड़े जाएंगे।

मान्यवर, ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर डॉग स्क्वायड की तंगी थी, तो हमने हमारे स्वदेशी डॉग्स की नस्ल तैयार करके बहुत बड़ी मात्रा में डॉग स्क्वायड बना ली है और इन्हें हम राज्यों को भी दे रहे हैं। NCORD के स्ट्रक्चर से जो प्रभावी समन्वय हो रहा है, इसको नीचे तक ले जाने के लिए हमने ढेर सारी सूचनाएं दी हैं। इसके साथ-साथ एकीकृत ड्रग डेटा, सूचना प्रबंधन, सरकारी आदेश, सरकारी कानून, जिनकी मैपिंग की गयी हैं, उनकी डिटेल्स, मैपिंग को एक्सप्लोर करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेज एक्सचेंज, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और न्यायालय के अच्छे प्रॉसीक्यूशन्स के पक्ष में आए हुए आदेशों का एनालिसिस और आर्यूमेंट, इन सभी को तैयार करके जिला स्तर पर NCORD के माध्यम से हमने भेज दिया है।

हमने डेडिकेटेड एंटी-नारकोटिक्स टॉस्क फोर्स भी बनायी है। राज्यों और संघ क्षेत्रों को समर्पित एक एंटी-नारकोटिक्स टॉस्क फोर्स भी राज्यों की सहायता में उपलब्ध है। इसके साथ-साथ भारत सरकार का जो फार्मा डिपार्टमेंट है, दोहरे उपयोग वाली दवाइयों के लिए कितना मिनिमम उपयोग हो सकता है, इस पर भी अधिकारियों की एक समिति बनाकर कि कितनी दवाओं को बैन कर सकते हैं, जिनके विकल्प उपलब्ध हैं, उन दवाइयों को पूर्णतया बैन कर दिया जाए, इस पर भी काम चालू है। उस समिति की चार मीटिंग्स हो चुकी हैं, अंतिम मीटिंग मार्च महीने में रखी है। मुझे आशा है कि बहुत सारी दवाइयों को प्रतिबंधित श्रेणी में हम ले जाएंगे, जिससे इनके उपयोग पर रोक लगायी जा सके।

मान्यवर, समुद्री रास्ते से तस्करी रोकने के लिए, मैं इतना बताता हूँ कि एक जमाना था जब सीमाओं से नारकोटिक्स आता था, आज भी आता है, ड्रोन से आता है। जो उत्तर-पूर्व की ओपन सरहदें हैं, वहाँ से भी आता है, परन्तु 60 से 70 प्रतिशत नारकोटिक्स अब समुद्री रास्ते और एयरपोर्ट से आता है। इसको पकड़ने के लिए भी हाई-लेवल टास्क फोर्स बना दिया गया है और हम भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एनसीबी, चारों की संयुक्त साप्ताहिक बैठक करके सुचनाओं का आदान-प्रदान करते हैं। हम इसमें कस्टम और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर को भी रखते हैं। हम एक भी ऐसा कोना छोड़ना नहीं चाहते हैं, जहाँ से ड्रग का अवैध कारोबार भारत के अंदर प्रवेश करे। मान्यवर, जहाँ तक अवैध खेती का सवाल है, हमने कुछ सॉफ्टवेयर बनाया है, हम ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं। मैं मणिपुर के मुख्यमंत्री को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि सबसे पहला पायलट प्रोजेक्ट हमने वहाँ लिया था। वहाँ पर लगभग-लगभग एक हजार हैक्टेयर अवैध नशे की खेती को डिस्टॉय करके, उनको वहाँ पर हॉर्टिकल्चर प्लांटेशन करके रीहैबिलिटेट करने का प्रयास किया गया है। इसी प्रकार का प्रोग्राम हमने राजस्थान के लिए भी बनाया है, मध्य प्रदेश के लिए भी बनाया है और सारे नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों के लिए भी बनाया है। हमारे गृह मंत्रालय का जो अध्ययन समूह है, इसने बहुत अच्छा रोडमैप राज्यों को बनाकर इस विषय में दिया है। मान्यवर, डार्कनेट और क्रिप्टो पर लगाम लगाने के लिए भी, जैसा मैंने पहले कहा कि अलग-अलग प्रकार हैकाथॉन किए गए, देश के चारों कोनों में किए गए और लगभग 3200 से ज्यादा युवाओं ने इनके अंदर हिस्सा लिया। ढेर सारी चीजें हमें प्राप्त हुई हैं और इससे एक एम.ओ. भी बनाया गया है। इसके साथ-साथ मैक, जो एक सभी एजेंसियों के समन्वय का सेंटर है, सब-मैक के रूप में हमने नार्कों के लिए एक अलग मैक की व्यवस्था को गठित किया है और इसके अंदर नारको ट्रैफिकिंग प्लेटफार्म की निगरानी, ड्रग नेटवर्क के इंटरसेप्शन, ट्रेंड्स के निरंतर एनालिसिस, डेटा बेस के अपडेट को एनालिसिस करके नई रणनीति बनाना और कार्य-प्रणाली और नोड़स पर ध्यान देते हुए एक बहुत अच्छी रणनीति बनाई है। हम साप्ताहिक इसका रिव्यु करते हैं और मुझे लगता है कि इससे बहुत बड़ा फायदा हुआ है। नारकोटिक्स के प्रशिक्षण का मॉड़यूल भी बनाया गया है। 5 अलग-अलग प्रशिक्षण मॉड़यूल बनाए गए हैं, जिसके अंदर नारकोटिक्स के केस को किस तरह से लड़ा जाए, चालान करने के पहले इसके अंदर मिनिमम क्या चीजें हमें इंक्लूड करनी हैं। इसके साथ-साथ जब जब्ती होती है तब क्या केयर लेनी है, जिसका फायदा इसका व्यापार करने वालों को प्रॉसिक्यूशन के वक्त न मिल पाए। तीसरा, पुनर्वसन के लिए भी एक ट्रेनिंग का मॉड्यूल बनाया है। चौथा मॉड्यूल इलेक्ट्रॉनिक एनालिसिस का, सारे डेटा के एनालिसिस का बनाया है और 5वां मॉड्यूल समन्वय के लिए, अगर फिजिकली नहीं मिल सकते हैं तो ऑनलाइन समन्वय कैसे हो सकता है, हमने इसका भी मॉड्यूल बनाया है। इन पाँचों अलग-अलग मॉड्यूल्स का जिला स्तर तक ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने डिजाइन किया है। मैं बड़े हर्ष के साथ बताना चाहता हूँ कि राज्य स्तर के ट्रेनिंग प्रोग्राम 3 दिसंबर को, सारे राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के, हमारे द्वारा समाप्त कर दिए गए हैं और 40 प्रतिशत जिलों में भी यह काम हो चुका है। नारकोटिक्स के फोरेंसिक के लिए भी एनसीबी और नेशनल फोरेंसिक साइंस युनिवर्सिटी के बीच में हमने एक समझौता किया है।

भारत सरकार देश में नारकोटिक्स की लगभग 6 रीजनल लैब्स बना रही हैं, जिससे सैम्पल की टेस्टिंग के अंदर देरी नहीं होगी। किसी के बेल होने की सम्भावना को मिनिमम कर दिया जाए, इस प्रकार की व्यवस्था आज हमने की है। उसमें डेट के हिसाब से प्रायोरिटी नहीं होगी, क्वांटिटी के हिसाब से प्रायोरिटी होगी, जिससे संजीदगी वाले जो केस हैं, बड़ी मात्रा वाले केस है, उसके अपराधियों को बेल न मिल पाए। मान्यवर, इससे काफी लोगों को तकलीफ होगी, यह मुझे मालूम है। मगर हम चाहते ही यह हैं कि उनको तकलीफ पड़े, इसलिए हमने इस व्यवस्था को किया है।

जहां तक नशा मुक्त भारत का अभियान है, मैं आपके माध्यम से कुछ चीजें सदन को बताना चाहूंगा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त, 2020 को इस अभियान को लॉन्च किया गया। 372 जिलों के बारे में, जो मैंने कहा कि मैपिंग किए हुए हैं, उन सभी 372 जिलों में लगभग-लगभग नीचे तहसीलों तक पहुंचाने की शुरुआत की है। इसके तहत लगभग 2.7 लाख से ज्यादा शैक्षिक संस्थाओं में 1.67 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने नशा मुक्ति की शपथ लेने का कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से किया है। आठ हजार से ज्यादा मास्टर स्वयं सेवकों की पहचान कर ली गई है, जो बिना मानदेय लेकर अपना यह काम करते हैं और सोशल मीडिया एकाउंट के माध्यम से भी इसकी प्रसिद्ध करते हैं। नशा मुक्ति की राष्ट्रीय शपथ के माध्यम से लगभग एक लाख शैक्षिक संस्थाओं को तथा इसके साथ और युवाओं को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर, ये एफसीआरए का जिक्र कर रहे थे। इसमें ढेर सारे एनजीओज़ भी जुड़े हुए हैं। मगर ये एनजीओज़ ऐसे हैं, जो भारत के समाज को स्वस्थ करना चाहते हैं। कुछ एनजीओज़ ऐसे होते हैं, जो भारत के समाज को प्रताड़ित करना चाहते हैं। भारत सरकार की नीति दोनों के लिए एक नहीं हो सकती। एफसीआरए के कानून का जो पालन नहीं करेगा, उसके साथ सख्ती की जाएगी और कोई दया का भाव नहीं रखा जाएगा। विदेश से आए हुए धन के स्रोत राज्य की निगरानी में नहीं हो, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसा बहुत चला लिया, जब आपकी सरकार थी। यह नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है। देश को खत्म करने के लिए देश के अंदर एक कानी पाई भी नहीं आने देंगे।... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: पीएम केयर्स फंड की तफ्तीश होगी?... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज बैठिये। माननीय गृह मंत्री जी।

श्री अमित शाह: मान्यवर, इस मिशन के अन्दर चिन्मय मिशन भी जुड़ा है, रामकृष्ण मिशन भी जुड़ा है, आर्ट ऑफ लिविंग भी जुड़े हैं, ब्रह्माकुमारीज़ भी जुड़े हैं, निरंकारी मिशन भी जुड़ा है और ढेर सारे आध्यात्मिक, धार्मिक और सामाजिक संगठन भी जुड़े हैं। इन पर कोई तकलीफ नहीं है। उनको एफसीआरए के कानून से कोई दिक्कत भी नहीं है। मगर जो लोग देश के अन्दर, देश की डेमोग्राफी को बदलना चाहते हैं और इसके लिए एफसीआरए का उपयोग करना चाहते हैं तो कानूनन उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। इस पर सख्त कार्रवाई होगी। मान्यवर, लगभग 341 इंटीग्रेटेड रिहैबिलिटेशन सेन्टर भारत सरकार के फंड से बन गए हैं और 300 बना रहे हैं, जिसके अन्दर दुनिया भर की आधुनिक से आधुनिक रिहैबिलिटेशन की पद्धतियों को अपनाया जाएगा और हमारे बच्चों को फिर से एक बार देश के विकास के साथ जोड़ने का, इसके माध्यम से, काम करेंगे।

नशीली दवाओं के खिलाफ जागरूकता के लिए हमने सबसे ज्यादा युवाओं को जोड़ने की रणनीति अपनाई है। जैसे जब हमउम्र का व्यक्ति बात करता है तो युवा उसे जल्दी सुनता है। युवा इसकी चपेट में न आए, उसके लिए हमने काम किया है। 41 एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ भी सरकारी अस्पतालों में, जो बहुत ज्यादा एडिक्ट हो गए हैं, उनके लिए हमने शुरू की हैं। 75 एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ और बनाने की हमारी कार्य-योजना है। 72 आउटरीच ड्रोपिंग सेन्टर्स भी बनाए गए हैं। जिनको अभी शुरू-शुरू में लत लगी है, जिसका लत के कारण शरीर बर्बाद हो गया, मन बर्बाद हो गया, इसके साथ बैठाते हैं तो भयावह परिणाम देखकर वह नशे की लत से वापस आता है। हमने ऐसे भी सेन्टर्स लगाए हैं।

महोदय, लगभग 2 लाख परामर्शदाता भी हमने तैयार किए हैं, जो ऐसे केसों में परामर्श देने का काम करते हैं। मान्यवर, जैसे मैंने नशामुिक के लिए कहा कि एनकोर्ड की बैठक स्वयं मेरी अध्यक्षता में हुई। नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर मैंने क्षेत्रवार भी सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ बैठक की है। दक्षिण की बैठक बाकी है। मैं बहुत जल्दी कर उसकों भी कर्रूगा। बाकी असम में भी की है, गुजरात में भी की है, पंजाब में भी किया है। क्षेत्रीय बैठक कर के भी राज्यों के अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए हमने काम किया है। मान्यवर, मैं इतना बताना चाहता हूँ कि हमने 75 साल के मौंके पर एक लक्ष्य लिया था कि हम 75 दिन के अंदर 75,000 किलों इन्स को जलाएंग। आज मुझे यह कहते हुए आनंद हो रहा है कि अब तक हमने 1,65,000 किलों से ऊपर डुस्स जलाई है। यह अभियान, जो मैंने सारा बताया है, उसकी ऑलओवर मॉनिट्रिंग के लिए गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में और गृह सचिव की अध्यक्षता में, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सचिव, रसायन और उर्वरक सचिव, स्वास्थ्य सचिव, फार्मा विभाग के सचिव, राजस्व विभाग के सचिव, पोर्ट विभाग और एयरपोर्ट अथॉरिटी के सचिव के साथ इसके लिए एक कोऑर्डिनेशन कमिटी बनाई गई है, जो हर 15 दिन में बैठ कर इसकी मीमांसा करती है। मान्यवर, हम प्रयास तो करते हैं, योजनाएं भी बनती हैं, मगर कई बार प्रयास जमीन पर नहीं उतरते हैं। मगर यह एक ऐसी सरकार है, जो प्रयास करती है तो उसको लॉजिकल एंड तक ले कर जाती है। जब हम यह तय करते हैं कि देश के हर गांव में बिजली पहुंचगी तो 70 सालों से जहां पर बिजली नहीं पहुंची, ऐसे 20,000 गांवों में 20 महीनों में हमने बिजली पहुंचा दी है। जब हम तय करते हैं कि हर घर में में सा का सिलेंडर पहुंचाएंगे, तब हम पहुंचाने में सफल होते हैं। अब मोदी जी ने तय किया है कि नल से जल पहुंचाएंगे तो मुझे भरोसा है कि नल से जल भी हर घर में पहुंचाएंग। मान्यवर, हमने यह तय किया है कि नशे की लत से इस देश के युवाओं को बर्बाद नहीं होने देंगे। कोई कुछ भी मानता हो, लेकिन इसके नतीजे मिल रहे हैं। मान्यवर, आंकड़ कभी झूठ नहीं होते हैं। अब कोई यह सवाल न पूछे कि कि 2006 से 2013 का क्यों दिया है? सब समझते हैं। यहां भी समझते हैं।

वहां भी समझते हैं। मान्यवर, वर्ष 2006 से 2013 में 22 लाख 45 हज़ार किलो ड्रग्स पकड़ी गई थी। वहीं, वर्ष 2014 से 2022 में 62 लाख 60 हज़ार किलो ड्रग्स पकड़ी गई है। मान्यवर, अगर इसको हम यूनिट्स में देखें तो 10 करोड़ यूनिट्स पकड़े गए हैं और अब मोदी जी के शासन में 24 करोड़ यूनिट्स पकड़े गए हैं। कीमत में, लगभग 33,000 करोड़ रुपये की कीमत थी, वर्ष 2006 से 2013 में। लेकिन इतनी मंहगाई वहां नहीं हुई है, जिससे कीमत बढ़ जाए, लेकिन मात्रा बढ़ी है। मान्यवर, अब 97 हज़ार करोड़ की ड्रग्स को पकड़ कर जला दिया गया है। यह 5 गुना ज्यादा है।

मान्यवर, मामले 1 लाख 45 हज़ार 62 रजिस्टर हुए थे। इसमें 4 लाख 14,697 मामले रजिस्टर हुए हैं और कुल गिरफ्तारी 1 लाख 62908 हुई थी और यहां पर 5 लाख 23,234 हुई हैं। पहले गंभीर प्रकार के केसों की क्वालिटी नहीं बनी थी। ड्रग्स के सेवन करने वाले का केस अलग होता है। ड्रग्स के खुदरा व्यापार करने वाले का केस अलग होता है। ड्रग्स के खीलर का केस अलग होता है। हमने डीलर और स्मग्लिंग के केस को गंभीर प्रकार की कैटेगरी में डाल कर 13 हज़ार केस डीलर स्मग्लिंग करने वालों के खिलाफ रजिस्टर किए हैं। यह बताता है कि हमारी दिशा सही है और परिणाम भी मिल रहे हैं।

मान्यवार, कई बार मैं तो आश्चर्य करता हूँ। कई बार मैंने सभाओं में देखा है, यहां अभी एक राष्ट्रीय नेता उपस्थित नहीं हैं। अगर वे उपस्थित होते तो उनका नाम भी मैं बोलता। ... (व्यवधान) यात्रा में हैं। ... (व्यवधान) नहीं, नहीं, मैंने कहा न। ... (व्यवधान) मेरी बात सुनिए न। ... (व्यवधान) मेरा सोच के बारे में कुछ नहीं है। ... (व्यवधान) समझ के बारे में समझो जरा। ... (व्यवधान)

मान्यवर, मैंने गुजरात के चुनाव के वक्त एक भाषण सुना कि गुजरात में ड्रग्स का कारोबार बढ़ गया है, गुजरात से ड्रग्स पकड़े जाते हैं। अरे भाई, देश की सीमा है, बन्दरगाह है। बन्दरगाह से आएगा, हम पकड़ेंगे, तो हमने यह अच्छा किया या बुरा किया? यह समझ में ही नहीं आ रहा है। अब पंजाब में नहीं पकड़े जाते हैं तो क्या बिट्टू साहब कह सकते हैं कि पंजाब में ड्रग्स नहीं हैं। पकड़ना कोई बुरी बात नहीं है, पकड़ना अच्छी बात है। हम इस कमेंट्स से हतोत्साहित नहीं होंगे। हम इसे और पकड़ेंगे, इसे और खत्म करेंगे।

मान्यवर, ये जिस प्रकार की चीजें कर रहे हैं, मुझे तो मालूम नहीं है कि ये पूरी लड़ाई को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। पिछले पाँच वर्षों में हमने 61 नए साइकोट्रॉपिक पदार्थों को अधिसूचित किया है, जो पहले इस कैटेगरी में नहीं आते थे। अब एफ.एस.एल. से सिद्ध करके इसको किया गया है। जब्ती की क्वालिटी में भी सुधार आया है। भारतीय एजेंसियों ने लगभग 1600 किलो और 3.8 करोड टैबलेट्स ट्रामाडोल को भी जब्त करने का काम किया है।

about:blank 24/26

मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह अभियान किसी एक सरकार का नहीं हो सकता है। यह अभियान किसी एक दल का भी नहीं हो सकता है, यह अभियान किसी एक एजेंसी का भी नहीं हो सकता है। केन्द्र और राज्यों की सभी एजेंसियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर समान तीव्रता और समान गम्भीरता के साथ इस अभियान को चलाना पड़ेगा. तब हम हमारी आने वाली

नस्लों को बचा पाएंगे।

मान्यवर, यह लड़ाई ऐसे नाजुक मोड़ पर है कि अगर इस वक्त हम जीतते हैं तो हम हमारी नस्लों को बचाते हैं और अगर इस वक्त नशे के व्यापारी जीतते हैं तो हमारी नस्लों को कोई बचा

नहीं सकता। इसलिए मेरा पूरे सदन से अनुरोध है कि इस एक मुद्दे पर हम राजनीति न करें। सभी राज्यों की सरकारें एक साथ आएं, जिला-स्तरीय एन-कॉर्ड की रचना करें और यह जो अभियान, मोदी

जी के नेतृत्व में, भारत सरकार के गृह विभाग ने चलाया है, उस अभियान को सभी लोग मजबूत बनाएं। हम भी राज्यों के अभियान को मजबूत बनाने के लिए बहुत तत्पर हैं और उत्सुक भी हैं। सभी

केन्द्रशासित प्रदेश, राज्य सरकारें, केन्द्र सरकार, देश की समग्र जनता और हम सभी जन प्रतिनिधि मिल कर इस अभियान को सफल बनाएं। 'ज़ीरो टॉलरेंस टू ड्रम्स' और 'नशामुक्त भारत' की रचना

करें, यही अभ्यर्थना कह कर मैं अपनी बात को समाप्त करता हं।

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, मैंने इसमें भाग नहीं लिया, बस एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जिन्होंने इसमें भाग लिया है, उन्हें समय नहीं मिलेगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैडम, बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, गृह मंत्री जी ने विस्तार से चर्चा की है, बहुत सारी व्याख्या दी है।... (व्यवधान) मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जिस रवैये से आपने हिन्दुस्तान को ड्रग्स-मुक्त करने की बात कही है, पर, उसकी ज़मीनी हकीकत कुछ अलग बयां करती है। आपकी जानकारी के लिए मैं यह दोहराना चाहता हूं कि following the hon. Supreme Court's order, the

Government of India conducted a survey from December 2022. As per the survey, it was reported that a staggering number of 3.1 crore are cannabis users

and 2.26 crore are opioid users, out of which 25 lakh individuals and 77 lakh individuals respectively are suffering from dependence on both the substances.

यह एक नम्बर पर है।

दुसरे नम्बर पर आत्महत्या है। आपने वर्ष 2006 से 2013 तक गिनती की, पर मैं दुसरी गिनती कर रहा हूं। वर्ष 2018 में हिन्दुस्तान में डुग्स एब्युज़र्स और एल्कोहॉल के चलते 7,193

खुदकुशी हुई थीं। हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की बात कर रहे हैं। वर्ष 2021 में, आपके दफ्तर की रिपोर्ट के मुताबिक, 10,507 आत्महत्याएं हुई हैं। इसका मतलब है कि यह बढ़ता जा रहा है।

आप कहते हैं कि सब जला दिए गए, इतने जला दिए गए। इसका मतलब है कि आपूर्ति ज्यादा होती है, इसलिए आपको जलाने के लिए ज्यादा मसाला भी मिलता है।... (व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Hon. Speaker, Sir, I would like to ask a one-line question. ... (Interruptions) I would like to

know from the hon. Home Minister ... (Interruptions) The narcotic drugs and psychotropic substances ... (Interruptions) अधीर दा, मेरे पास माइक है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नहीं, प्रेमचन्द्रन जी, मैंने आपको 15 मिनट मौका दिया।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठिए। कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान) *

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप एक मिनट के लिए बैठिए। आप बैठ जाइए। सभी माननीय सदस्यों को मैंने पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर दिया और एक लंबी चर्चा चलायी। उस समय

आपकी हर बात का माननीय गृह मंत्री जी ने तथ्य के साथ जवाब दिया। आपको बोलने के लिए 20 मिनट का समय दिया गया, फिर भी आप डिस्टर्ब करती है। यह अच्छी चर्चा नहीं है। उन्होंने नहीं

बोला था, इसलिए अपनी बात रख दी। सदन इस बात पर सहमत है।

... (व्यवधान)

Resolution on Drug Free India.

about:blank 25/26

माननीय अध्यक्ष:देश में मादक द्रव्यों के सेवन से उत्पन्न स्थित पर सदन में दो दिन से चल रही चर्चा आज संपन्न हुई। सभी पक्षों और सभी दलों के माननीय सदस्यों ने इस महत्वपूर्ण विषय पर सार्थक चर्चा और संवाद किया है। इस विषय पर पूरे सदन ने गंभीर चिंता जतायी है। सरकार ने भी मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या जो विशेष रूप से युवाओं के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है, उसको सामूहिकता के साथ समाप्त करने की प्रतिबद्धता जतायी है। हमारे देश के युवा समर्थवान हैं, ऊर्जावान हैं, उनको ऐसी बुराइयों से बचाना और उनका भविष्य उज्ज्वल करना देश की सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं और निर्वाचित माननीय सदस्यों का दायित्व है।

अत: यह सदन संकल्प लेता है कि देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था के प्रतिनिधि के रूप में माननीय सदस्यगण पूरे देश के अंदर व्यापक जन-जागरण अभियान चलाकर, युवाओं में देश की इस बढ़ती समस्या को समाप्त करने के लिए सामूहिकता की भावना से कार्य करेंगे। नशामुक्त भारत बनाने के लिए यह सदन एकमत से संकल्प लेता है। धन्यवाद।

अब आइटम नंबर 26 लिया जाएगा। माननीय मंत्री जी।